ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मार्च 2018 अंक 03

विषय सूची

मार्च 2018
अंक-3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-15

- राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों के भविष्य निर्माण की पहल
- कृषि मशीनरी प्रोत्साहन के तहत फसल अवशेषों का सफल प्रबंधन
- गोबर-धन योजना : समृद्ध ग्रामीण जीवन का प्रबंधन
- क्वाड (QUAD) सामरिक या रणनीतिक चतुर्भुज
- समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम
- वर्तमान समय में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता
- फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स की बढ़ती सक्रियता

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16-20

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 21-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों के भविष्य निर्माण की पहल

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के झुंझनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोषण मिशन सरकारी बजट से सफल नहीं बनाया जा सकता। इसे सफल बनाने में आप लोगों का साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पीएम की कितनी ही आलोचना करें या कुछ भी कहें, लेकिन जब पीएम को याद करें, तो पोषण मिशन याद आना चाहिए, नरेन्द्र मोदी नहीं। तब ये मिशन सफल होगा।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ''हर कोई लम्बा-चौड़ा तंदुरूस्त बच्चा चाहता है। लम्बा तथा तंदुरूस्त होने के लिए वैज्ञानिक सोच की जरूरत होती है, जिसमें माँ के संतुलित आहार से लेकर बच्चे का भी संतुलित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए आस-पास के माहौल को पूरी तरह बदलना होगा। उन्होंने कहा कि बाल-विवाह के कारण ही कुपोषण बढ़ रहा है। जब कच्ची उम्र में कोई माँ बनती है, तो बच्चा भी अस्वस्थ होता है।''

जब सरकार ने कुपोषण की मूल समस्याओं की पड़ताल की, तो बाल विवाह मुख्य कारणों में उभर कर आया। इसके बाद अच्छा भोजन ही नहीं पानी भी शुद्ध होना चाहिए। बच्चे के पैदा होते ही उसे माँ का दूध मिलना चाहिए। जिन बच्चों को पैदा होते ही माँ का दूध मिलता है, उनके बड़े होने पर समस्यायें कम आती हैं।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को पोषक आहार दिये जाने के महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 'मिशन इंद्रधनुष' के जरिये महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पोषण मिशन और बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान की सफलता के लिए इन्हें जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2017-18 से शुरू राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम) का गठन 9046.17 करोड़ रुपयें के 3 साल के बजट से किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन देश में पोषण के स्तर को युद्धस्तर पर बढ़ाने का एक समग्र प्रस्ताव है। इसमें कुपोषण को दूर करने में योगदान कर रही विभिन्न योजनाएं शामिल होंगी, जिसमें आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी व्यवस्था, लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गये रजिस्टरों को हटाना, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की लंबाई मापने की शुरूआत करना, सामाजिक परीक्षण और पोषण संसाधन केन्द्रों की स्थापना शामिल हैं। विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषण में जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बच्चों के बौनापन, आवश्यकता से कम पोषण, खून की कमी और जन्म के वक्त बच्चों के कम वजन को क्रमश: 2 फीसदी, 2 फीसदी तक 3 फीसदी और 2 फीसदी तक कम करना है। यद्यपि बौनापन को सलाना कम से कम 2 फीसदी कम करने का लक्ष्य है, लेकिन मिशन के तहत 2022 तक बौनापन को 38.4 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी तक लाना है। इस कार्यक्रम में 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से यानि 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों और 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।

इसके तहत स्मार्ट फोन जैसे सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

कुल बजट आवंटन में से 50 फीसदी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रकशन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) या अन्य बैंक योगदान करेंगे। शेष राशि राज्यों और केन्द्र के बीच 60 और 40 अनुपात में साझा की जाएगी। केन्द्र का कुल योगदान 2849.54 करोड़ रुपये होगा और राज्य सरकारें करीब 1700 करोड़ रुपये का योगदान करेंगी। का योगदान करेगी। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 और बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत होगा।

विशेषताएँ

- एनएनएम एक शीर्षस्थ के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी,

पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा।

- राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रमुख तत्वों-स्वास्थ्य सेवायें, भोजन, पेयजल, सफाई और आजीविका एवं आय पर बल दिया जा रहा है।
- कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न स्कीमों के योगदान का प्रतिचित्रण।
- अत्यधिक मजबूत अभिसरण तंत्र प्रारंभ करना।
- आईसीटी आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा रजिस्टरों के प्रयोग को समाप्त करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की ऊँचाई के मापन प्रारंभ करना।
- सामाजिक लेखा परीक्षा।
- लोगों को जन आंदोलन के जरिए पोषण पर विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से शामिल करना इत्यादि शामिल है।
- यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा।
- इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पंहुचेगा।
- सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से अर्थात 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय पोषण मिशन की जरूरत क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है। दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो इन मौतों को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो आंकड़े पाए हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई गुना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को ''चिंताजनक'' बताया है।
- भारत में फाइट हंगर फाउंडेशन और एसीएफ इंडिया ने मिल कर ''जनरेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम'' की शुरूआत की है। भारत में एसीएफ के उपाध्यक्ष राजीव टंडन ने इस प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि कुपोषण को ''चिकित्सीय आपात स्थिति'' के रूप में देखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस दिशा में बेहतर नीतियों के बनाए जाने और इसके लिए बजट दिए जाने की भी पैरवी की।
- एसीएफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण जितनी बड़ी समस्या है, वैसा पूरे दक्षिण एशिया में और कहीं देखने को नहीं मिला है, रिपोर्ट में लिखा गया है, ''भारत में अनुसूचित जनजाति (28%), अनुसूचित जाति (21%), पिछड़ी जाति (20%) और ग्रामीण समुदाय (21%) पर अत्यधिक कुपोषण का बोझ है''
- वहीं महाराष्ट्र में राजमाता जिजाऊ मिशन चलाने वाली वंदना कृष्णा का कहना है कि राज्य सरकार कुपोषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, पर साथ ही उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि दलित और आदिवासी इलाकों में अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बच्चों को खाना ना मिलने के साथ साथ, देश में खाने की बर्बादी का ब्योरा भी दिया गया है।
- दस वर्ष पहले जब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े सामने आए, तो पता लगा कि देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं। हॉलाकि सर्वेक्षण के चौथे भाग में आँकड़े कुछ बेहतर दिखाई दिए, परंतु मंजिल काफी दूर थी।
- इस दौरान कुपोषण से जूझने के लिए सरकार के पास एक ही विकल्प था-बाल विकास एकीकृत योजना विश्व के इस सबसे बड़े सामाजिक कार्यक्रम ने पिछले 41 वर्ष में मातृत्व एवं बाल कुपोषण पर विजय नहीं पाई।
- यूपीए सरकार ने आईसीडीएस को सफल बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई। कुपोषण से निपटने का भार राज्यों पर डाल दिया।
- कुपोषण की उच्च दर बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता के साथ-साथ उनकी उत्पादकता पर भी प्रभाव डालती है। किसी देश में कुपोषित बच्चों का अधिक होना उस देश की आर्थिक प्रगति पर भी प्रभाव डालता है। अनुमान है कि कुपोषण से एशिया के सकल घरेलू उत्पाद पर 11 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा।
- समस्त विश्व में यह माना गया है कि माँ के गर्भ में आने से लेकर शिशु के दो वर्ष के होने तक यानी 1000 दिन का होने तक पर्याप्त पोषण न मिलने से अपरिवर्तनीय हानि हो सकती है।
- कुपोषित गर्भवती माँ एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। भारत में ऐसे मातृत्व की संख्या अफ्रीका के सहारा प्रांत से भी अधिक है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। इन सबके अतिरिक्त भारत सरकार, समस्त राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, आँगनबाड़ी केन्द्रों, आशा मित्रों के सहयोग और माध्यम से जरूरी पोषक तत्वों ऑयरन और कैल्शियम की दवायें बिल्कुल नि:शुल्क उपलब्ध करवाती है। हर गाँव तक ये सरलता से सुलभ है। इनका भी नियमित सेवन किया जाना चाहिए।

कुपोषण से निपटने के लिए समाधान

- आईसीडीएस में सुधार के साथ पोषण मिशन चलाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। ये केन्द्र व राज्य स्तरों पर चलाए जाएं। यही सोचकर सरकार ने भारतीय पोषण मिशन की नींव डाली।
- सरकार इस मिशन को महाराष्ट्र, गुजरात आदि कई राज्यों में चलाने की इच्छुक है। राज्यों ने इसकी सहमति भी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल एवं स्वच्छता आदि विभागों के बीच तालमेल बैठाकर कुपोषण को कम करना है।
- इस मिशन के द्वारा आईसीडीएस की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाएगी। इस तरह के नियंत्रण से आईसीडीएस के दिए गए आंकड़ें की सच्चाई को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही आधुनिक तकनीकों एवं मोबाइल की

मदद से प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सकेगी।

- 3 जनवरी, 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में 'भारत की पोषण चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस परिषद के अध्यक्ष होंगे।

कुपोषण से निपटने के लिए आगे कि राह

- आंगनवाड़ी को अधिक सक्रिय किया जाए। इसके कार्यकर्त्ताओं को शिशुओं के 1000 दिन के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। वे गर्भवती महिलाओं एवं रक्त अल्पता से पीड़ित किशोरियों के परिवारों को परामर्श देने में सक्षम हों। उन्हें पिछड़े परिवारों को यह समझाना चाहिए कि कुपोषण का प्रभाव न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क के विकास पर भी पड़ता है।
- राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों में नए अनुसंधान किए जाए।
- आंगनवाड़ी, आशा, एसएनएम, सीडीपीओ, सुपरवाइजर एवं कार्पोरेट क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेकर पोषण के क्षेत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
- भारत के लाखों बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अब राष्ट्रीय पोषण मिशन की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे भविष्य में कोई बच्चा डायरिया या निमोनिया से इसलिए न मरे कि उसे दो वर्ष तक की आयु तक उचित पोषण नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि 'स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।' स्वस्थ बच्चे ही भविष्य में स्वस्थ युवा होंगे, जो भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे। हमारे राष्ट्र का भविष्य भी इन्हीं बच्चों में निहित है। अतः इनका स्वस्थ होना तथा समुचित ढंग से शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होना अति आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

2. कृषि मशीनरी प्रोत्साहन के तहत फसल अवशेषों का सफल प्रबंधन

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन को अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 591.65 करोड़ रूपये और 2019-20 में 560.15 करोड़ रूपऐ के साथ केन्द्र सरकार इसके लिए कुल 1151.80 करोड़ रूपए खर्च करेगी।

कृषि मशीनरी प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों?

भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। इतनी बड़ी आबादी के सम्मिलित होने के बाद भी कृषि भारत के किसानों के लिए कभी भी लाभ का सौदा नही रही है।

इधर कुछ वर्षों से फसल अवशेषों को लेकर सरकार व किसानों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। चूँकि भारत में परंपरागत खेती की जाती है और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीन भी परंपरागत होती है इसलिए फसल अवशेष का प्रबंधन सही तरीके से नही हो पाता है। किसानों के सामने इन अवशेषों के निपटान की चुनौती होती है क्योंकि सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व्यापक पैमाने

पर नहीं हो पाया है जिससे कि किसान फसल अवशेषों का सहीं निपटान कर सकें। देश में धान, गेहूँ आदि जैसे फसलों के कटने के बाद इनके अवशेषों को खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। पहले खेती कम क्षेत्रफल में होती थी इसलिए फसल अवशेष खेतों में ही छोड़ दिया जाता था और वह खेतों में सड़कर जैविक खाद बन जाते थे जिससे कि किसानों और भूमि दोनों को फायदा था।

उल्लेखनीय है कि भारत में कृषि अब व्यापक पैमाने पर होती है और खेती में नये-नये तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उत्पादन भी अधिक हो रहा है। चूँकि उत्पादन अधिक होने से फसल अवशेष भी अधिक रहते हैं जिसका प्रबंधन किसानों के लिए एक चुनौती है। यदि फसल अवशेषों का सही समय पर निपटान नहीं किया जाता है तो खेत खाली नही हो पाते और फसल की बुआई नहीं हो पाती है जिससे कि किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा यदि किसान फसल अवशेषों को कही और रखते हैं और इसके लिए बड़ी मात्रा में जगह की आवश्यकता होगी तथा कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो फसल अवशेष सड़कर कई तरह की बिमारी का कारण बनते हैं।

स्मरणीय है कि कुछ वर्षों से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व पश्चिमी उत्तरप्रदेश में फसल अवशेषों के जलाने से वायु प्रदूषण का विभत्स रूप देखने को मिला है। आलम यह है कि दिल्ली व उसके आस-पास के क्षेत्रों में फसल अवशेषों के जलाने से कई दिनों तक धुंध छाया रहता है और सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कते आती है। ऐसा देखा गया है कि इस मौसम में सांस संबंधी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं तथा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है और वह बंजर होती जा रही है। भारत के कुछ राज्यों विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इस तरह की समस्या सामने आई है। इन राज्यों में अवशेषों के जलाने से फसलों के उत्पादन में कमी आई है।

सरकारी पहल

केन्द्र सरकार पराली व अन्य फसल अवशेष के बेहतर प्रबंधन के लिए एक ठोस नीति पर कार्य कर रही है। इसके तहत सरकार ने 2018-19 के बजट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फसल

अवशेषों के प्रबंधन तथा पराली जलाने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी हेतु वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए विशेष नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (100% केन्द्रीय हिस्सेदारी) को शुरू करने की घोषणा की।

वर्तमान सरकार ने पराली जलाने की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नई योजना का एलान किया है। इसके तहत पराली के प्रबंधन के लिए मशीनें खरीदने के लिए सरकार की ओर से 80 फीसदी तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यही नहीं कृषि अवशेष न जलाने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। पराली प्रबंधन के लिए मशीनों का बैंक स्थापित किया जाएगा जहाँ से इन्हें किराये पर लिया जा सकता है। इसके लिए किसानों का पंजीकृत सहकारी समितियों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कृषि उत्पादनकर्ताओं के संगठनों, निजी उद्यमियों और महिला किसानों के समूहों को परियोजना की लागत का 80 प्रतिशत तथा निजी किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी एवं उपकरणों के लिए 50% की वित्तीय मदद दी जाएगी।

फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता के लिये राज्य सरकारों, किसान विकास केन्द्रों, ICAR संस्थानों, केन्द्र सरकार के संस्थानों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को सूचना, शिक्षा तथा प्रचार प्रसार के क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सरकार किसानों की ट्रेनिंग का भी प्रबंधन करेगी ताकि वह फसलों के अवशेषों का बेहतर प्रबंधन सीख सकें। सरकार विज्ञापन, शिविर व अन्य गतिविधियों के माध्यम से किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाएगी। साथ ही टीवी कार्यक्रम, फिल्में, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, डीडी किसान आदि माध्यम भी इसके प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल किए जाएगें। इसके अलावा कोई भी फसल अवशेष न जलाने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। इन तमाम प्रयासों के तहत सरकार की मंशा है कि वह किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नई-नई मशीनरी उपलब्ध कराये जिससे कि किसान फसल अवशेष का निपटान सही तरीके से कर सकें। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।

सरकार नई योजना के तहत पराली व अन्य फसल अवशेषों का इस्तेमाल बायोगैस, जैविक खाद्य तथा बड़ी-बड़ी औद्योगिक क्षेत्रों में करना चाहती है। इससे किसानों को इनके निपटान की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही इन्हें बेचकर वे पैसा भी कमा सकेंगे। परिणामस्वरूप प्रदूषण और भूमि के बंजर होने की समस्या से निजात मिलेगा।

कार्यान्वयन एजेन्सियाँ

केन्द्र सरकार फसल अवशेष प्रबंधन की योजना को सफल बनाने के लिए एक विशेष नीति के तहत कार्यान्वयन एजेन्सियों का गठन किया है जिसके सहयोग से सरकार व किसानों के बीच एक बेहतर तालमेल बन सकेगा। इससे किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में सहायता मिलेगी तथा सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा।

केन्द्रीय स्तर पर यह योजना कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित होगी। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति नीति तैयार करेगी और राज्य सरकार द्वारा योजना लागू करने के बारे में समग्र निर्देश और दिशा निर्देश देगी। योजना की निगरानी तथा प्रगति व प्रदर्शन की समीक्षा भी करेगी। इसके साथ ही अपर सचिव की अध्यक्षता में योजना की गतिविधियों की देखरेख कार्यकारी समिति करेगी।

जिला स्तरीय कार्यकारी समिति परियोजना तैयार करने, लागू करने और जिलों में निगरानी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी तथा किसान समूहों/फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए किसानों को सक्रिय बनाने वाले प्रगतिशील किसानों को शामिल करते हुए निगरानी समितियाँ बनाएगी।

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग फसल अवशेष के यथास्थान प्रबंधन के लिए मशीन और उपकरणों के मूल्य सहित निर्माताओं का एक पैनल तैयार करेगा।

राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सरकार अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य कृषि विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेन्सी होंगे। संबंधित राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समितियाँ, नोडल एजेन्सियों तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक करके अपने-अपने राज्यों में योजना क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे तथा उचित नीति बनाने के लिए कार्यकारी समिति को इनपुट प्रदान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि संबंधित राज्य सरकारें जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों (डीएलइसी) के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों और स्थान-कृषि प्रणाली पर निर्भर विशेष कृषि उपकरण की पहचान करेगी और कस्टम हायरिंग और व्यक्तिगत मालिक स्वामित्व के आधार पर मशीनों की खरीद के लिए कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगी ताकि पारदर्शी रूप से समय पर लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही राज्य नोडल विभाग/डीएलइसी लाभार्थी की ऋण आवश्यकता के लिए बैंकों के साथ गठबंधन करेंगे। चयनित लाभार्थी के नाम एवं वितरण जिला स्तर पर दस्तावेजों में शामिल किये जाएगें जिसमें उनके आधार/यूआईडी नम्बर तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता दिखाई जाएगी।

निष्कर्ष

यह सही है कि फसल अवशेष के लिए केन्द्र सरकार एक व्यापक नीति के तहत कार्य कर रही है लेकिन यदि राज्यों का पूर्ण सहयोग नहीं मिला तो यह योजना सफल नहीं हो सकती। फसल अवशेष निपटान कुछ राज्यों की गंभीर समस्या है इसके बावजूद केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग पार्टी की सरकार होने के कारण उनके बीच सामंजस्य की समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा किसानों में जागरूकता का अभाव व अत्यधिक लाभ की इच्छा भी सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के उल्लंघन करने में सहायक हो रही है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को भी अपनी भूमि के बारे में सोचना होगा जिससे कि खेतों में उपज के साथ-साथ उर्वराशक्ति भी बनी रहे। साथ ही सरकार को भी ईमानदारीपूर्वक कार्य करना होगा और किसानों की समस्याओं पर विस्तृत ध्यान देना होगा। इसके लिए राज्यों के साथ बेहतर संबंध बनाये रखना होगा जिससे इस योजना में किसी प्रकार की कोई बाधा न आ सके। परिणामस्वरूप फसल अवशेष किसानों के लिए समस्या नहीं बल्कि वर्ष 2022 तक उनकी आय दोगुना करने में उनकी सहायक साबित होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

3. गोबर–धन योजना : समृद्ध ग्रामीण जीवन का प्रबंधन

चर्चा का कारण

सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नई योजना गोबर–धन की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आम–बजट 2018–19 संसद में पेश करते हुए गोबर–धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बॉयो–गैस और बॉयो–सीएनजी में बदला जाएगा। साथ ही समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 जिलों की पहचान की है।

इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण, विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय तक पहुंच आदि में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि, ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे।

गोबर धन योजना पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह योजना गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने और ग्रामीणों के जीवन–स्तर को ऊँचा लाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के अंतर्गत गोबर का दोहरा उपयोग किया जा सकता है जिसका उपयोग किसान इंजन एवं पॉवर डीजल इंजन चलाने के लिए कर सकते हैं। प्लांट से निकलने वाले गोबर का खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह गोबर धन योजना के द्वारा किसानों के खाद की समस्या दूर होगी, साथ ही आय के संसाधनों में भी बढ़ोतरी होगी।

पृष्ठभूमि

भारत के वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने वित्तीय बजट 2018–19 में गाँव और किसानों की दिशा बदलने के लिए गोबर–धन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना की शुरूआत 1 फरवरी 2018 बजट के साथ हुई है। गोबर यानि की गैलवनाइजिंग आर्गेनिक बायो–एग्रो धन योजना है। इस योजना के जरिए सरकार देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करेगी। यह एक सुनहरे कल की शुरूआत होगी। इस योजना के साथ पहले से ही धन शब्द जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम धन को रोजगार के लिए ले सकते हैं। इस योजना के शुरूआत से देशभर में रोजगार और बढ़ेगा। गोबर–धन योजना के तहत किसान भाई अपने पशुओं का गोबर भूसा पत्ते इत्यादि को कंपोस्ट बायोगैस सीएनजी में बदल सकते हैं। इस योजना में खेती और पशुपालन से जुड़े एक बड़े जनसमूह की भागीदारी, उनका आर्थिक लाभ और समग्र विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा इस योजना में परिलक्षित होती है।

सरकार इस योजना में किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस योजना के तहत किसान स्वयं पशु मल व कृषि अपशिष्ट से खाद बनाने में दक्षता हासिल करेंगे और अपनी कृषि प्रणाली को मजबूत बना पाएंगे। सरकार का यह भी प्रयास है कि देश के विकास में हर गांव की भूमिका तय हो और प्रत्येक गांव देश की जी.डी.पी. का हिस्सा बने। इसके लिए ग्रामीण इलाकों के ढांचे में परिवर्तन आवश्यक है। गैलवनाइजिंग आर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्स धन योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार, नई तकनीक और व्यापार के नए रास्तों का सृजन होगा जिसमें बड़ी जन–भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। पशुपालन को प्रोत्साहित करना भी गोबर धन योजना का एक मुख्य उद्देश्य है जिसमें पशु मल–मूत्र की उचित कीमत सरकार किसान और पशुपालक को उपलब्ध कराने वाली है। यानि किसान व पशुपालक की आर्थिक समृद्धि का भी प्रयास इस योजना में सन्निहित है।

इसकी आवश्यकता क्यों?

देश में लगभग 13 करोड़ मवेशी हैं जिनसे हर साल 120 करोड़ टन गोबर मिलता है। इसमें से आधा उपलों के रूप में चूल्हों में जल जाता है। यह ग्रामीण ऊर्जा की कुल जरूरत का 10 फीसदी भी नहीं है।

बहुत पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि गोबर को चूल्हे में जलाया जाना एक अपराध है। ऐसी और कई रिपोर्ट सरकारी बस्तों में बंधी होंगी, लेकिन इसके व्यावहारिक इस्तेमाल के तरीके गोबर गैस प्लांट की दुर्गति यथावत है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गोबर को चूल्हे में जलाया जाना एक अपराध है। ऐसी और कई रिपोर्ट सरकारी बस्तों में बंधी होंगी, लेकिन इसके व्यावहारिक इस्तेमाल के तरीके गोबर गैस प्लांट की दुर्गति यथावत है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य के 10 फीसदी प्लांट भी नहीं लगाए गए हैं। ऐसे कई प्लांट तो सरकारी सब्सिडी गटकने का माध्यम बन रहे हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे देश में गोबर के जरिये 2000 मेगावाट ऊर्जा पैदा की जा सकती है। सनद रहे कि गोबर के उपले जलाने से बहुत कम गर्मी मिलती है। इस पर खाना बनाने में बहुत समय लगता है यानि गोबर को जलाने से बचना चाहिए।

गोबर से बनी कंपोस्ट या प्राकृतिक खाद से उपचारित भूमि की नमी की अवशोषण क्षमता पचास फीसदी बढ़ जाती है। फलस्वरूप मिट्टी नम रहती है और उसका क्षरण भी रूकता है। कृत्रिम उर्वरक यानि रासायनिक खादें मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक नाइट्रोजन के उपयोग से भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोटेशियम का तेजी

से क्षरण होता है। इसकी कमी पूरी करने के लिए जब पोटाश प्रयोग में लाते हैं तो फसल में एस्कोरलिक एसिड (विटामिन सी) और कैरोटिन की काफी कमी आ जाती है। इसी प्रकार सुपर फास्फेट के कारण मिट्टी में तांबा और जस्ता चुक जाता है। जस्ते की कमी के कारण शरीर की वृद्धि और लैंगिक विकास में कमी, घावों के भरने में अड़चन आदि रोग फैलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों से संचित भूमि उगाए गेहूं और मक्का में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25 प्रतिशत कम होती है। रासायनिक दवाओं और खाद के कारण भूमिगत जल के दूषित होने की गंभीर समस्या भी खड़ी हो रही है।

यदि इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाए तो अच्छा होगा। इससे एक तो महंगी रासायनिक खादों और दवाओं का खर्चा कम होगा, साथ ही जमीन की ताकत भी बनी रहेगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि फसल रसायनिक खादों और दवाओं का खर्चा कम होगा, साथ ही जमीन की ताकत भी बनी रहेगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि फसल रसायनहीन होगी। यदि गांव के कई लोग मिल कर गोबर गैस प्लांट लगा लें तो उसका उपयोग रसोई में अच्छी तरह होगा। देश के कई हिस्सों में ऐसे प्लांट सफलता से चल रहे हैं। ये प्लांट रसोई गैस सिलेंडर के मुकाबले काफी कम कीमत में खाना पकाने की गैस उपलब्ध करा रहे हैं। गोबर गैस प्लांट से निकला कचरा बेहतरीन खाद का काम करता है। दरअसल यही है वेस्ट से वेल्थ की अवधारणा। गोबर का सदुपयोग एक बार फिर हमारे देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। जरूरत तो बस इस बात की है कि इसका उपयोग ठीक तरीके से किया जाए। अच्छा होगा कि सरकार गोबरधन योजना को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए।

गोबर धन योजना 2018 के लाभ

- गोबर धन योजना 2018 का गठन मुख्य तौर पर ग्रामीण नागरिकों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
- इस योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों से प्राप्त ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस सी.एन.जी. बनाई जाएगी।
- किसानों की दो मुख्य समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। किसानों को बेहतर उर्वरक की प्राप्ति होगी और उन्हें ऊर्जा के संसाधन प्राप्त होंगे।
- इस योजना के संचालन से किसानों के आय के साधनों में अतिरिक्त वृद्धि होगी।
- इस योजना को 2018-19 के बजट में किसानों को समर्पित किया गया है। इसलिए इस योजना को समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत देश के 115 जिलों में आरंभ किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत चयनित जिलों में स्थित गांव के आधारभूत ढांचे, शिक्षा, बिजली, सिंचाई आदि का भी प्रबंध किया जाएगा।
- योजना का मुख्य आकर्षण कंपोस्ट खाद बनाने का है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी।
- इस योजना के लागू होने से देश के किसानों के आय के साधनों में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- किसान अब खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों और जानवरों के मल-मूत्र आदि का भी सही तरीके से उपयोग करके बनाई जाने वाली खाद और बायोगैस दोनों का उपयोग किसान कर सकेंगे।
- किसान के ऊर्जा के साधनों की बचत होगी और इससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग इंजन एवं पॉवर डीजल इंजन आदि चलाने में कर सकेंगे।
- प्लांट से निकलने वाले गोबर का उपयोग भी किसान खाद के रूप में कर सकेंगे।
- गोबर धन योजना की पूरी प्रक्रिया से देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी।
- साथ ही किसानों में इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- गोबर धन योजना के लिए शीध्र ही ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे।

योजना के लिए पहल

- यह योजना स्वच्छ भारत अभियान की तरफ बढ़ा हुआ कदम है।
- बायोवेद शोध संस्थान के वैज्ञानिक ऐसे संयंत्र तैयार करने में जुटे हैं जिनसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन तैयार किए जा सकें। घर में भोजन पकाने के लिए शोध संस्थान खरपतवार व गोबर से बायोकेक तैयार कर रहे हैं। एक केक की कीमत करीब पाँच रुपये आती है और इससे आठ लोगों का भोजन पकाया जा सकता है।
- सरकार ने 19 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जो गोमूत्र से लेकर गोबर और गाय से मिलने वाले हर पदार्थ पर शोध को प्रोत्साहित करेगी। शोध का उद्देश्य पंचगव्य को स्वास्थ्यवर्धक दवा के रूप में वैज्ञानिक मान्यता देना है और अगले तीन वर्षों में पंचगव्य को पोषणयुक्त खाद और कृषि उपयोग के लिए मंजूरी मिलने की संभावना है। यह शोध भी गोबर धन योजना को मजबूती प्रदान करेगा। जिसमें पशुपालकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आगे की राह

भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। जिससे गोबर न केवल ग्रामीण जीवन की तकदीर बदल सकता है, बल्कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और ग्रामीण जीवन को प्रदूषण मुक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

बायोगैस और बायोमास उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। बायोगैस को देश में भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। देश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों का बड़े स्तर पर निर्माण और बायोगैस का अधिकतम उपयोग देश की ऊर्जा मांग को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। बायोगैस में 75 प्रतिशत मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। इस प्रकार गोबर धन योजना से किसानों को दोहरा लाभ होगा। सरकार की इस योजना से विशेष रूप से गांव के पिछड़े इलाको के लोगों को आर्थिक मजबूती तो प्रदान होगी ही वशर्ते सरकारी पहल के साथ ही आम जनता को भी जागरूकता होना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

4. क्वाड (QUAD) सामरिक या रणनीतिक चतुर्भुज

चर्चा में क्यों

हाल ही में अमेरिका-भारत-आस्ट्रेलिया-जापान क्वाड् (QUAD) की परियोजना को धरातल पर लाने हेतु एकत्रित हो रहे हैं। ये सभी देश मिलकर एक संयुक्त क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा बनाने की योजना पर चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार "ऑस्ट्रेलियन फाइनेंसियल रिव्यू ने क्वाड (QUAD) को लेकर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। इस लेख के अनुसार कहा जा रहा है कि क्वाड् (चार देशों का संगठन) के निर्माण की तैयारी चीन की आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।

समाचार ऐजेंसी रॉयटर के मुताबिक हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान टर्नबुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट के एजेडें पर भी चर्चा की थी।

जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने भी कहा कि उपरोक्त चारो देश उन मुद्दों पर बराबर चर्चा करते रहे हैं जिनसे इनके सामूहिक हित जुड़े हुए हैं चीन की ओबीओआर परियोजना के जवाब में जापान अपनी 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक परियोजना' को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसे वह इस क्वाड् के माध्यम से पूरा कर सकता है।

पृष्ठभूमि

अमेरिका-भारत-आस्ट्रेलिया-जापान इन चार देशों के गठजोड़ को क्वाड् कहा जाता है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र जिसे अब हिन्द प्रशांत क्षेत्र कर दिया गया है, में बनने वाला चतुर्भुज है जिसमें ये सभी चार देश शामिल हो रहे हैं। इस संगठन को धरातल पर लाने हेतु पहली शुरूआत नवंबर 2017 में मनीला में आयोजित आसियान सम्मेलन के दौरान हुई थी।

ज्ञात हो कि आसियान की बैठक के समानान्तर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इस चतुर्भुज की रूप रेखा पर विचार किया गया था। यदि हम क्वाड् के विकास क्रम की चर्चा करें तो इसकी प्रथम शुरूआत वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 2007 में इस प्रस्ताव को सिंजो अबे द्वारा रखा गया। उनकी इच्छा थी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक संगठन का निर्माण किया जाए। इसके पश्चात् वर्ष 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक

ओबामा के समय अमेरिका में एक पॉलिसी का निर्माण किया गया था जिसका नाम था 'Pivoit to asia' जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नई सामरिक और रणनीतिक एलाइंस को तैयार करना था और सबसे पहले इसकी घोषणा अमेरिका के तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा सिंगापुर में की गई थी। रक्षा मंत्री के अनुसार अमेरिकी युद्ध पोत के सम्पूर्ण बेड़े का अब तक अटलांटिक और प्रशांत क्षेत्र में बराबर-बराबर तैनाती का बँटवारा रहता था अर्थात् 50-50 प्रतिशत। 'Pivoit to asia' नीति के पश्चात् अब ये अनुपात बदल कर 60 प्रतिशत प्रशांत क्षेत्र में तथा 40% अटलांटिक क्षेत्र में हो गया। इस बात से जाहिर है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर है। इसके पश्चात् तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक टीम का निर्माण किया जिसने यह निष्कर्ष दिया कि आने वाले समय में अमेरिकी हितों के लिए एशिया पैसिफिक सबसे बड़ा सामरिक क्षेत्र साबित होगा।

इस बात के मद्दे नजर वर्ष 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए जहाँ भारत व अमेरिका ने एक ज्वाइंट विजन पर डिक्लेरेशन को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर भी किए थे। ये ज्वाइंट विजन भारत की एक्ट एशिया पॉलिसी तथा अमेरिका की एशिया पाइवोट (ASIA Pivoit) पॉलिसी के लक्ष्यों को एक साथ लाने पर आधारित थी और यही आकर वर्ष 2017 में क्वाड् (QUAD) के निर्माण के लिए आधार बना।

चतुष्कोणीय गठबंधन (क्वाड्) के उद्देश्य

किसी भी गठबंधन के बनने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला व्यक्त या दृश्य कारण दूसरा गौंण कारण। इसी प्रकार क्वाड् के भी मुख्यत: दो उद्देश्य हैं। क्वाड् के बनने के दृश्य कारणों में से एक हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइन सिक्योरिटी या समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। दूसरा कारण इनहैंसमैंट ऑफ कनेक्टविटी अर्थात् एशिया के पैसेफिक क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए। इस लिहाज से इन सभी देशों ने कहा कि हम एक फ्री एण्ड ओपन इंडो-प्रैसिफिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगें।

इसके अलावा क्वाड के यदि गौंण या छिपे हुए उद्देश्यों की चर्चा की जाए तो दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति को कंट्रोल करने के लिए तथा चीन की बहुमहत्वाकांक्षी परियोजना OBOR जिसका अभी चीन ने नाम बदल कर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) कर दिया हैं, के मद्देनजर भी क्वाड को धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जबकि QUAD योजना को लेकर जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा का कहना है कि, यह योजना चीन के BRI के विरोध में न होकर एक विकल्प है। यदि अमेरिका आस्ट्रेलिया जापान भारत अपने साझा हितों पर नियंत्रित रूप से चर्चा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीन के BRI के जबाब में कोई विकल्प तैयार कर रहे हैं।

अत: यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि QUAD के निर्माण को लेकर सभी शामिल देशों के अपने -अपने हित हैं और इनके ये सभी हित किसी न किसी वजह से चीन से टकरा रहे हैं। यदि भारत के हितों की चर्चा की जाए तो चीन द्वारा भारत की एनएसजी सदस्यता का विरोध, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा, प्रतिबंध लगाए जाने का चीन द्वारा विरोध करना इसके साथ ही चीन तथा पाकिस्तान के सैन्य संबंधों की प्रगाढ़ता, हिन्द महासागर में चीनी सेना की उपस्थिति (सिप्रिंग्स ऑफ पर्ल) में विस्तार आदि कारण भी भारत QUAD के निर्माण के लिए प्रमुख कारण हैं।

यदि अमेरिकी हितों को देखा जाए तो चीन एशियाई क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी गठबंधन को खत्म करने की रणनीति बना रहा है। साथ ही अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरे। वहीं जापान का मानना है कि उत्तर कोरिया द्वारा जापान पर मिशाइल दागने के पीछे चीन का हाथ है साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बार-बार जापान की संप्रभुता

को भी चुनौती दी जाती है। इसके अलावा आस्ट्रेलिया अपने बुनियादी ढांचे और राजनीतिक गतिविधियों में चीन की बढ़ती रुचि से परेशान है। अर्थात् चीन का विस्तारवादी रवैया क्वाड् के निर्माण में एक अहम कारण है। वहीं चीन का मानना है कि यह गठबंधन नाटों का एशियाई संस्करण है जिसे उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव एवं महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।

क्वाड् के निर्माण से भारत को लाभ

ज्ञातव्य हो कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय क्षेत्र है और हिंद महासागर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सागरीय क्षेत्र है इस लिहाज से इस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नीली अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र विद्यमान है। इस क्षेत्र में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में मदद मिलेगी, और हम विश्व में सबसे बड़ी नीली अर्थव्यवस्था धारित करने वाले देश हो जाएंगे। इसके साथ ही यह पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा। चाइना हिंद महासागर क्षेत्र में 'स्टिंग्स ऑफ पर्ल्स' के जरिए घेराबंदी कर रहा है। क्वाड के चतुष्कोणीय गठबंधन के पश्चात् इसके इस अभियान में कमजोरी आएगी।

भारत द्वारा चीन के BRI प्रोजेक्ट से अपनी सुरक्षा प्रभावित होने की बात पहले ही उठाई जाती रही है। चीन भले ही कहे कि उसकी इस परियोजना से भारत सहित इस क्षेत्र के सभी देश लाभ उठा सकते हैं, पर चीन के इरादे अब दुनिया में संदेह से ही देखे जाते हैं। ऐसे में इस परियोजना के निर्माण से मध्य एशिया के तेल और गैस के भण्डारों और पूर्वी यूरोप के बाजारों तक हमारी पहुँच आसान हो जाएगी।

यह चतुष्कोणीय गठबंधन हिंद महासागर के सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच उस पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बावजूद जब तक क्वाड् की संरचना धरातल पर नहीं आ जाती तब तक भारत को अभी चीन के बढ़ते विस्तारवादी रवैये के प्रति सतर्क रहना होगा। इसके लिए भारत को अपने ही स्तर पर कई कार्यनीतियों को अंजाम देते रहना होगा।

क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

इस परियोजना की संकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। यह सदी की सबसे बड़ी परियोजना भी कही जा रही है। इसमें दुनिया के 65 देशों को कई सड़क मार्गों, रेल मार्गों और समुद्र मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव है। यह परियोजना अनेक मार्गों का सम्मिश्रण है।

वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को न्यू सिल्क रूट भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि OBOR प्रोजेक्ट को एशिया-अफ्रीका को जोड़ने वाली प्राचीन सिल्क रोड के तर्ज पर ही बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है। हालांकि चीन इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है।

चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट और भारत

पाक के साथ बन रहे CPEC को भी इस योजना का हिस्सा माना जा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के तहत पाक के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग से जोड़ा जा रहा है।

ज्ञात हो कि चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट BRI में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। लेकिन बीआरआई मे सीपीईसी को शामिल किए जाने के कारण भारत ने इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की। क्योंकि सीपीईसी पाक अधिकृत कश्मीर से गुजर रहा है। जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अगर भारत बीआरआई में शामिल हो जाता तो भारत के इस कदम को भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान करना समझा जाता।

भारत के लिए भविष्य की राह

चूंकि क्वाड की तैयारी चीन की आक्रमक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है लेकिन यह अभी बेहद शुरूआती चरण में है और इसमें अभी किसी प्रकार की परिपक्वता भी नहीं दिख रही हैं। इसलिए भारत को अपनी चीन को लेकर निर्मित की गई रणनीतियों के प्रति अभी सकारात्मक रवैया अपनाए रखना होगा जिनमें अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधें में मधुरता बनाए रखने के लिए भारत को सार्क के महत्व को भी पहचानना होगा।

यदि भारत का पड़ोसियों से संबंध बेहतर होता है तो चीन के आक्रांमक क्षेत्रीय निवेश की नीति को संतुलित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना चाहिए इसके लिए मैत्री एवं सहयोग संधि तथा मुक्त (Free trade agrement FTA) को गति प्रदान करना चाहिए।

भारत को चीन के उन उद्देश्यों को पहचानना होगा जहाँ इन दोनों के बीच टकराव न हो जैसे धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को रोकने में दोनों देशों की एक समान रुचि हैं अत: परस्पर हितों को सामरिक संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक मुद्दों पर लड़ने के बजाए दोनों देशों को चाहिए कि वे वर्तमान मुद्दों को हल करने पर अपना बल दें।

इसके साथ ही भारत को एक पक्ष BRI में शामिल होने के संदर्भ में रखना चाहिए क्योंकि बीआरआई भारत के लिए नि:संदेह महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत की दक्षिण पूर्व एशिया में परिवहन की स्थिति बहुत ही कमजोर है। लेकिन भारत को इसमें शामिल होने के लिए कुछ शर्ते भी तय करनी होंगी।

निष्कर्ष

चतुष्कोंणीय संगठन (क्वाड्) सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस योजना से भारत को सागरीय क्षेत्र से संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। भारत विश्व में सर्वाधिक नीली अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बन सकता है। नि:संदेह चीन का उद्भव एक वास्तविकता है जिससे भारत को निपटना होगा लेकिन कूटनीति एक ऐसी कला है जो सही संतुलन पर निर्भर करती है और भारत को वह संतुलन बनाकर चलना होगा। भले ही क्वाड् में छिपे हुए उद्देश्य हो सकते हैं जिनमें चाहे वह चीन के विस्तारवादी रूख में अंकुश लगाना हो या चीन के बीआरआई का विकल्प, पर भारत को क्वाड् के इस छिपे हुए अर्थ के अतिरिक्त अन्य लाभों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना होगा ताकि भारत की चीन विरोधी धारणा न ही बन सके।

इसके साथ ही भारत क्वाड् योजना के इतर चीन से अपने संबंधों को हमेशा मधुर रखने के प्रयास करने होंगे इसके साथ ही भारत को चीन के साथ अपने उन हितों को भी पहचानना होगा जहाँ दोनों के मत एक हों।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

5. समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। यह अब तक का 88वाँ वार्षिक बजट है। वर्ष 2018-19 के वित्त बजट में गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा पर जोर देते हुए और शिक्षा के आधारभूत ढाँचे में उन्नयन के लिए रीवाइटेलाइजिंग इनफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टमस इन एजुकेशन (राइज) योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक बजट है। इस बजट के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा के इस बजट में ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लाई गई हैं जिससे शिक्षा में समावेशीकरण भी सुनिश्चित हो सकेगा इनमें अनसूचित जनजातियों के लिए लाई गई 'एकलव्य' स्कूल जैसी योजनाएँ प्रमुख हैं।

इन सब बातों के इतर, हाल ही में फिजी में राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) शिक्षा मंत्रियों के 20वें सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के खण्ड 4 (जो सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान कराने पर जोर देता है) पर वैश्विक स्तर पर कार्ययोजनाएँ बनाई गई। इस सम्मेलन की थीम -सस्टनेबिलटी एण्ड रिजिलिंएस कैन एजुकेशन डिलिवरी थी। अत: भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में समावेशीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है और भारत सहित आज के वैश्विक युग की यही मांग भी है।

पृष्ठभूमि

किसी भी देश के लिए शिक्षा सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। गांधी जी ने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव से होकर जाता है। यूँ तो आजादी के पश्चात से ही गांव का विकास भारत सरकार के केन्द्र का विषय रहा है पर आज भी ग्रामीण ढांचे में आशानुकूल बदलाव दृष्टिगत नहीं हुए हैं। खास तौर पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति आज भी बहुत कमजोर है वहीं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अच्छा है। इस प्रकार कहा जा सकता है भारत में शिक्षा के जिस समावेशीकरण की आवश्यकता थी वह पूरी नहीं हुई है।

बात अगर भारत में शिक्षा के लिए सरकारी नीतियों के इतिहास के बारे में किया जाए तो वर्ष 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग, वर्ष 1952 में मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए तथा वर्ष 1964 में दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन समग्र शिक्षा में सुझाव देने के लिए किया गया था और इसी समय से शिक्षा के समावेशीकरण पर जोर दिया गया।

इसी समय शिक्षा के क्षेत्र में तमाम महत्वपूर्ण नीतियाँ भी लाई गई थीं। जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, लोक जुम्बिस महिला समाआख्या, मिड डे मील कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा में सुधार हेतु चलाए गए थे।

शिक्षा में समावेशीकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में लिया गया। सरकार ने 2 दिसम्बर 2002 को संविधान में 86 वाँ संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21 (क) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया और इस अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पारित किया। इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों की शिक्षा का सार्वभौमिक रूप से समावेशीकरण करना था जहाँ सभी वर्ग, जाति, क्षेत्र के बच्चे एक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें

हाल ही में शिक्षा पर काम कर रहे एनजीओ 'असर' द्वारा शिक्षा की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत को अभी शिक्षा के गिरते स्तर और समावेशीकरण को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों में विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम जागरूकता अभियान के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। अत: भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के वार्षिक बजट में शिक्षा के क्षेत्र के विकास और इसके समावेशीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिख रही है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों?

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने लिखा है कि, भारत समय से अपनी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश न करने की कीमत भुगत रहा है। यह सच भी है कि किसी भी समाज की प्रगति की नींव शिक्षा की मजबूत दशा व स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं पर आधारित है। शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा की मजबूती से ही समाज में समता का मार्ग खुलता है।

वस्तुत: समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि किसी भी बच्चे को क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश के आधार पर हाशिए पर न छोड़ा जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में भी समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। जिसका ईशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है।

- समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
- समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।
- समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी स्थानीय गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
- समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है।
- समावेशी शिक्षा, स्वयं को एवं अन्य बच्चों को दोस्ती के विकास करने की क्षमता को बढ़ावा देती है।
- इस प्रकार कुल मिलाकर यह समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, किसी भी वगे से हों, को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है।
- यह सही मायने में सर्वशिक्षा अभियान जैसे शब्दों का ही रूपांतरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है।
- **समावेशी शिक्षा के विकास के लिए वर्तमान प्रयास:** इस वर्ष के बजट को, जो कि ग्रामीण विकास और शिक्षा पर केन्द्रित माना जा रहा है, बजट में शिक्षा और ग्रामीण भारत के ढांचागत स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं इस साल के बजट में शिक्षा के आधारभूत ढांचों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है।
- सरकार ने 13 लाख अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की बात कही है। इसके लिए सरकार वर्ष 2017 में शिक्षक

दिवस के अवसर पर लाए गए 'दीक्षा' पोर्टल के माध्यम से तकनीकी मदद लेगा। और बड़ी मात्रा में अध्यापकों की भर्ती के जरिए शिक्षक छात्र अनुपात जो अब तक बड़ी खराब स्थिति में था, को सुधारा जा सकेगा।

- इस वर्ष सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 करोड़ शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत आंगनबाड़ी में भी शैचालय का निर्माण करवाया जाएगा बाल शिक्षा में आंगनबाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- बजट के दौरान वित्तमंत्री ने कहा था कि प्ले स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही अगले चार वर्षो के दौरान अनुसंधान एवं बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएगें। सरकार ने देश के सभी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड को स्मार्टबोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से ग्रामीण शिक्षा में ढांचागत बदलाव आएगा। क्योंकि आज के चुनौतिपूर्ण समाज के लिए सिर्फ परंपरागत शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बच्चों को डिजिटल शिक्षा में दक्ष किया जाना भी जरूरी है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटरनेट आफ थिंग, बिग डाटा एनालिसिस, डीप लार्निग, ऑटोमेशन जैसे नए विचारों को समाज में जगह मिल रही है तो हमें भी उसी के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी।
- आदिवासी बच्चों को उनके खुद के वातावरण में अच्छी शिक्षा दिलाने और उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वर्ष 2022 तक अनुसूचित जनजाति की 50 फीसदी आबादी और कम से कम 2000 आदिवासी वाले प्रत्येक ब्लाक में 'एकलव्य मॉडल' आवासीय स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ये एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आधारित होंगे।
- शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए (लर्निग आउटकम) कमजोर छात्रों के लिए विशेष प्रयास किए जाऐंगे। माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए नवाचार फंड का भी गठन किया जाएगा। नीति आयोग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए जोर दे रहा है। इसके अनुरूप सर्वशिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को मिलाकर एक अम्ब्रेला कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
- सरकार बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 4213 करोड़ रूपए निवेश करेगी इसमें 4.5 लाख अध्यापकों को सेवा के साथ परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। 1500 नए विद्यालयों में आईसीटी अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। लड़कियों के लिए 100 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा इन छात्रावासों के जरिए काफी हद तक ड्रापआउट दर में कमी आएगी। बजट में 600 माध्यमिक स्कूल खोलने का भी प्रावधान है। इससे ऊपरी कक्षा में बच्चों की नामांकन दर भी सुधरेगी।
- इसके अलावा सरकार ने समावेशी शिक्षा के प्रयासों के तहत 2015 में बेटी बचाओं पढ़ाओं कस्तूबा गांधी आवासीय बालिका विद्याालय कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों से लिंग आधारित शिक्षा में सुधार किया जा सका है।
- सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा के जरिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। सरकार इसके लिए बजट में 26128.81 करोड़ रुपए की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करेगी तथा ग्रामीण परिवेश में विज्ञान और गणित की शिक्षा में सुधार के लिए 25 लाख रुपये निवेश करेगी इसके अतिरिक्त सरकार ने उच्च शिक्षा में भी कई प्रयासों की शुरूआत की है। सरकार देश भर से एक हजार बीटेक छात्र छात्राओं को आईआईटी में रिसर्च के लिए चुनेगी और उन्हें आकर्षक फैलोशिप भी देगी। तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो स्कीम चालू की है।
- उत्कृष्ठ संस्थानों के अंतर्गत सरकार बड़ोदरा में विशेष रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी तथा आईआईटी एवं एनआईटी स्वायत्तता स्कूल के तौर पर 18 नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एसपीए स्थापित किए जाएगे।
- इसके अलावा सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्य-संस्थानों तक पहुँच को सबके लिए सुनिश्चित करने हेतु एक 'स्वयं पोर्टल' भी शुरू किया था। इसके तहत 593 ऑनलाइन कोर्स इसमें उपलब्ध होंगे जिसको डीटीएच टीवी से जोड़ दिया है। अत: इन सभी प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष योजनाओं के जरिए सरकार डिजिटल तकनीकी को साथ लेकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इसके समावेशीकरण के लिए अथक प्रयास कर रही है।

समावेशी शिक्षा के लिए चुनौतियाँ

आजादी के बाद से भारत में हुए शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टि करता हैं कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और सीमाओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने-सिखाने के समान अवसर मिलें, परंतु आज भी यह समावेशी शिक्षा उस मुकाम पर नहीं पहुँची है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए। शिक्षा के समावेशी स्तर तक न पहुँचने के कई कारण हैं। इसमें प्रमुख कारण रहा है सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश की कमी दूसरा कारण शिक्षा में निजीकरण को अनुमति प्रदान करना जिससे अभिभावकों का ध्यान प्राइवेट विद्यालय मोह में फँस गया।

- इसके अलावा विद्यालयों में दिव्यांगानुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर का न होना, शिक्षकों की कमी अर्थात शिक्षक छात्र अनुपात का कम होना, विद्यालयों में उचित शौचालय और पानी की व्यवस्था न होना आदि बहुत से कारण शिक्षा के समावेशीकरण की चुनौतियाँ बने हुए हैं।

आगे की राह

हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है अत: इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की वजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जिसके लिए समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन करना होगा। इस दृष्टि से सरकार को अपनी समस्त योजनाओं को धरातल पर जल्द से जल्द लाना होगा जिससे शिक्षा में समावेशीकरण हो सके।

निष्कर्ष

इस वर्ष सरकार ने शिक्षा में समावेशीकरण और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बजट में 'राइज' योजना के तहत अगले 4 वर्षो के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो अब तक का शिक्षा का सर्वाधिक बजट है। इसके तहत नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आदिवासियों के लिए एकलव्य योजना, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्थापना, शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर कार्यक्रम डिजिटल इंटेंसिटी के लिए स्मार्ट बोर्ड, जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अत: इन दोनों बातों के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि सरकार अब शिक्षा की गुणवत्ता और इसमें समावेशीकरण लाने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

■

6. वर्तमान समय में गुट–निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता

संदर्भ

आज के वैश्विक परिदृश्य को देखें तो ऐसा लग रहा है कि शीत युद्ध एक बार फिर फूट पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस को अपने प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है। इन देशों के नेताओं 'शी जिनपिंग' और 'ब्लादीमीर पुतिन' का ऐसा मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के विरूद्ध उनको मजबूती के साथ तथा दृढ़तापूर्वक खड़े होने की आवश्यकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में घोषणा किया है कि, रूस के पास एक ऐसा अजेय घातक हथियार है जो पानी के अंदर सशस्त्र ड्रोन ले जाने में सक्षम है। यह इतना शक्तिशाली है कि इस हाइपरसोनिक हथियार को रोक पाना असंभव है। यह तटीय सुविधाओं से लैस है जो एक प्लाज्मा के घेरे में चलता है जैसे 'उल्का पिण्ड' चलता है।

क्यूबा एक बार फिर ईरान के नेतृत्व में 'बुराई की धुरी' बनकर उभरा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार का शीत युद्ध त्रिध्रुवीय शीत युद्ध है जिसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सैन्य सहयोगी के रूप में एक साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो। कमजोर और गरीब राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यावहारिक समूह नहीं है। अगर शीत युद्ध नये रूप में उभरा है तो इस परिस्थिति में गुट–निरपेक्ष आंदोलन का नये सिरे से पुनर्जन्म कितना प्रासंगिक हो सकता है? क्योंकि गुट निर्पेक्ष आंदोलन आज उन देशों के लिए अभिशप्त है जिन्होंने इसके कभी आकार दिया था।

पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में 'गुट निरपेक्षता' का विशेष महत्व है। गुट–निरपेक्ष आंदोलन की उन्नति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, बल्कि यह एक सुविचारित अवधारणा थी। अब प्रश्न यह है कि गुटनिरपेक्षता है क्या? एनएएम से तात्पर्य वर्चस्व की भावना पर आधारित पुरानी विश्व व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना था। नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए।

गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास 20 वीं सदी के मध्य छोटे राज्यों, विशेषकर नये स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ। ये राज्य अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये किसी भी महाशक्ति में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। महाशक्ति की अवधारणा तथा नव–साम्राज्यवाद के वर्चस्व के विरूद्ध एक संयुक्त मोर्चा खोलने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के क्षेत्रों के इर्द–गिर्द विकसित प्रतियोगी समूहों की व्यवस्था को अस्वीकार करने के लिये 1950 के दशक में नये देशों के व्यक्तिगत प्रयासों को समन्वित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस उद्देश्य से 1955 में बांडुग (इंडोनेशिया) में अफ्रीकी–एशियाई सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 6 अफ्रीकी देशों सहित 29 देशों ने भाग लिया। इन नये स्वतंत्र राज्यों के सापेक्ष उपस्थित राजनीतिक और आर्थिक असुरक्षा के भय को उजागर किया। 1950 के दशक के अंत में युगोस्लाविया ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट–निरपेक्ष राजनीतिक पहचान की स्थापना में रूची प्रदर्शित की। ये प्रयास 1961 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में 25 गुट–निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों के प्रथम सम्मेलन होने तक जारी रहे। यह सम्मेलन यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति 'जोसिप टीटो की पहल पर आयोजित हुआ, जिन्होंने शस्त्रों की बढ़ती होड़ से तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य युद्ध छिड़ने की आशंका व्यक्त की थी। गुट–निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आने वाले सभी देशों ने निश्चय किया कि वे दुनिया के किसी पॉवर ब्लाक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नसिर एवं युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्राज टीटो द्वारा आरंभ किया गया। इसकी स्थापना साल 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। वर्ष 2018 तक इसके सदस्यों की संख्या 125 हो गई है तथा लगभग 25 देश ऑब्जर्वर हैं।

गुट निरपेक्षता की उपलब्धियाँ

गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन (विश्वव्यापी) बन चुका है और इसका कार्यक्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र का भी काफी विस्तार हुआ। उदाहरण के लिए-हरारे (1986) शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया था और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर भी बल दिया गया था।

1989 में बेलग्रेड में दूसरी बार आयोजित शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, ओजोन पर्त, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना आदि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया था।

विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना

गुटनिरपेक्षता से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए या उनकी तीव्रता कम हुई या फिर उनका

समाधान हो गया विशेषतः तीसरा विश्व युद्ध। 'बर्लिन एयरलिफ्ट', कोरियाई युद्ध, इण्डो-चीनी संघर्ष, चीनी तटवर्ती द्वीपसमूह से संबंधित विवाद (1995) तथा स्वेज युद्ध (1956) जैसे संकटों के समाधान का आग्रह और अनुरोध न करते तो संभवतः और भी व्यापक और अनवरत संघर्ष होते।

युद्ध में परिणत होने से रोकना

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने से शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था।

विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण

नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुट-निरपेक्षता ने ही प्रदान किया।

शीत-युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गयी थीं, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने के अथक प्रयास किए और इससे वर्तमान विश्व समाज कहीं अधिक खुला समाज बन पाया है।

अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान

गुट-निरपेक्ष देशों की बड़ी-बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि उन्होंने अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया तथा अपनी राष्ट्रीय सांचे और पद्धतियों का अविष्कार किया।

विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद

विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली है गुट-निरपेक्षता आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है। यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है।

इस सम्मेलन की 50वीं वर्षगाठ भी 2005 में उसी शहर में मनायी गयी। निर्धारित गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत हैं-राष्ट्रों की संप्रभुत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता व संप्रभुत्ता विश्वास, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा आदि। इन सिद्धांतों और गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करने वाले राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करने की दृष्टि से गुट-निरपेक्ष आंदोलन की शुरूआत की। इसके प्रथम सम्मेलन में केवल 25 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 125 हो गई है।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो शीत युद्ध जैसी हालत एक बार फिर बनती दिख रही है। अमेरिका का चीन व रूस के प्रति द्वेष तथा चीन और रूस, अमेरिका को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। भारत का अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते, रूस के साथ कम होते सामरिक संबंध, भारत-चीन डोकलाम विवाद, भारत का मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का चीन द्वारा विरोध, क्यूबा का ईरान के साथ बढ़ती नजदीकियाँ आदि ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे एनएएम की प्रासंगिकता को एकबार फिर से महसूस किया जा सकता है।

2012 में दूसरे गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनिवार्यता वैश्विक परिदृश्य में महसूस की गई। भारत, अमेरिका और चीन के मध्य विरोध का कारण बनता जा रहा है। ऐसे समय में भारत को एक वैश्विक रोल मॉडल पेश करने की आवश्यकता है। भारत को वास्तव में एक नई और वैकल्पिक सार्वभौमिकता बनाने की जरूरत है। अमेरिका के नजदीकी रक्षा सहयोगी होने के कारण भारत चौतरफा अमेरिकी खेमें में दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह एनएएम को पुनर्जीवित करे तथा वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए नये आदर्श पेश करें। विश्व त्रिध्रुवीय, या द्विध्रुवीय शक्ति न होकर अब बहु-ध्रुवीय शक्ति बनने बनता जा रहा है। भारत खुद ही वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। भारत को ऐसे संगठनों की आवश्यकता है जैसे इबसा (इंडिया-ब्राजील-द०अफ्रीका) जी-15 आदि जो संगठन भारतीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

एनएएम के सदस्य देश भले ही चीन, रूस या फिर अमेरिका से संबंध रखे हों लेकिन उनको एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है न कि इन तीनों से प्रभावित होकर। वर्तमान समय में भारत को इन त्रिगुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहिए साथ ही भारत को आर्थिक रूप से क्षति न हो इस बात का भी ध्यान रखना होगा।

गुट निरपेक्ष नीति की प्रासंगिकता

गुट निरपेक्ष नीति को अपनाए हुए लगभग 60 साल होने को है लेकिन अपनी प्रगतिशीलता एवं समतावादी अवधारणा के कारण यह नीति आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका, चीन, रूस बड़ी शक्तियां है। ये देश अपनी हितों के लिये विश्व के देशों को अपने-अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में गुट-निरपेक्ष नीति से इनकी वर्चस्ववादी भावना को रोका जा सकता है। गुट-निरपेक्षता की नीति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन करती है। गुट निरपेक्ष नीति संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता की भावना बनाए रखने पर भी बल देती है। निरस्त्रीकरण तथा युद्ध के मामले में, भारत-चीन डोकलाम विवाद, दक्षिण तथा उत्तरकोरिया विवाद, चीन-अमेरिकी समस्या आदि का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान वैश्विक स्थिरता के लिए आज भी आवश्यक है। स्पष्ट है कि अपनी प्रगतिशीलता के कारण गुटनिरपेक्षता की नीति न केवल आज प्रासंगिक है बल्कि आने वाले समय में भी प्रासंगिक होने का मद्‌दा रखती है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियाँ

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आज अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक हित के हिसाब से विभिन्न देशों के साथ बढ़ता गठबंधन जैसे सार्क, इब्सा, गल्फ देशों का संगठन जी-7, जी-20, ईयू, ब्रिक्स आदि।
- अपने अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए महाशक्तियां गुट निरपेक्ष नीति अपनाने वाले देशों को अपने-अपने आर्थिक नीतिओं के लिए दबाव बनती रहती हैं।
- गुट-निरपेक्ष देशों में तनाव, वैमनस्य और भंयकर विवाद उभरते रहे हैं। उदाहरणार्थ भारत और बांग्लादेश नदी-जल विवाद, भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद, डोकलाम विवाद, मलदीव समस्या, रूस-चाइना-अमेरिका विवाद आदि।
- आर्थिक दृष्टि से गुटनिरपेक्ष देश पिछड़े हुए हैं। अपने आर्थिक विकास के लिए इन देशों को महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। महाशक्तियाँ इन्हें आर्थिक सहायता का लुभावना मोह दिखाकर अपने गुटों में बांधने का प्रत्यन करती हैं।
- एनएएम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिख रहा है।
- वैश्विक संबंधों का जटिल होना अर्थात आज अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक होती जा रही है और सभी देश अपने हितों के लिए एनएएम को कम महत्व दे रहे हैं।
- बहुध्रुवीय शक्तियों का उदय भी गुट-निरपेक्षता के लिए खतरे की घंटी है।
- गुट-निरपेक्ष आंदोलन को नये रूप में रूपांतरित करने की समस्या।

- जिन्होने एनएएम की शुरूआत की वो खुद ही अलग-अलग ग्रुप बनाते जा रहे हैं।

आगे की राह

जिस समय गुट-निरपेक्ष आंदोलन की शुरूआत हुई थी उस समय एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश या तो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे या फिर स्वतंत्रता की राह में अग्रसर थे। उस समय मुख्यत: दो वैश्विक शक्तियाँ थी एक रूस तथा दूसरा अमेरिका। इन दोनों महाशक्तियों में प्रतिद्विन्दिता के कारण लगभग 5 दशकों तक शीत युद्ध का दौर चला। इस परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इन नवोदित देशों के आर्थिक, राजनैतिक, तथा सामरिक उद्देश्यों की रक्षा करने में सक्षम था लेकिन वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल अलग है। वैश्विक शक्तियों में वृद्धि हुई है अब विश्व बहु-ध्रुवीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एकल रूप में तब्दील हो रही है। तमाम देश, अपने देश के विकास के लिए अनेक संगठनों का गठन कर रहे हैं। ऐसे में गुट-निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व खतरे में पड़ता दिख रहा है अर्थात गुट-निरपेक्षता को बनाये रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। फिर भी इसकी प्रासंगिकता आज भी कहीं न कहीं व्याप्त है कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं

- विश्व के विकासशील देशों को चाहिए कि वो अपने आर्थिक हित के हिसाब से नये-नये गठबंधन करें लेकिन अपने रिश्तों को आर्थिक क्षेत्र तक ही सिमित रख कर इस आंदोलन को नई दिशा दे सकते हैं।
- चुंकि आज अर्थव्यवस्था वैश्विक हो चुकी है ऐसे में विकसित देश यह चाहते हैं कि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अपनी अर्थव्यवस्था को हमारे लिए खोल दें। ऐसे में गुट-निरपेक्ष देश ही अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं।
- आज एनएएम की प्रासंगिकता गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा ही समाप्त की जा रही है अर्थात इन देशों में बढ़ते तनाव को कम करने की आवश्यकता है। अपने विवादों को सुलझाने के लिए एनएएम का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए।
- आज अर्थव्यवस्था का दायरा लगातार बढ़ रहा है इस कारण गुटनिरपेक्ष देश विकसित देशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। महाशक्तियों की आर्थिक तथा लुभावनी सहायता को उसी हद तक अपनाने की आवश्यकता है जहां तक एनएएम देशों के सामरिक हित आपस में न टकराएँ
- जिन उद्देश्यों के लिए एनएएम का गठन किया गया था उन उद्देश्यों को नये रूप में पालन करने की जरूरत है क्योंकि आज विश्व बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। ऐसे में एनएएम की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह वैश्विक तनाव कम करने में मदद कर सकता है।
- आज वैश्विक अर्थव्यवस्था जटिल होती जा रही है विभिन्न देशों के आर्थिक हित आपस में न टकराएं ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वैश्विक रूप में, नये सिर से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।
- आज विश्व दो ध्रुवीय शक्ति न रहकर बहुध्रुवीय होता जा रहा है। भारत, जापान, ब्राजील जैसे देश वैश्विक पहल पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में गुट निरपेक्षता के अस्तीत्व पर सवाल खड़े होना लाजमी है। विश्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए गुट निरपेक्षता की ओर लौटने की आवश्यकता है।
- गुट निरपेक्ष आंदोलन को नये वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालने की आवश्कता है।
- जिन देशों ने एनएएम का गठन किया वे खुद ही इसके सम्मेलनों में या तो भाग नहीं लेते हैं या लेते भी हैं तो वही पुरानी विचारों पर बहस होती है जो कि अप्रासंगिक है। दूसरी तरफ गुटनिरपेक्ष देश खुद ही अनेक संगठन बनाते जा रहे हैं। संगठन बनाने चाहिए अर्थव्यवस्था का एकीकरण भी होना चाहिए लेकिन उसी हद तक जिस हद तक गुट-निरपेक्ष देशों के लिए प्रासंगिक हो। क्योंकि वे आज भी विकासशील देश हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

7. फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स की बढ़ती सक्रियता

चर्चा का कारण

हाल ही में पेरिस में संपन्न फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक में पाकिस्तान को 'ग्रेलिस्ट' में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 'ग्रे लिस्ट' में शामिल देशों पर आतंकवादी फंडिंग के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने समर्थन किया। खास बात यह है कि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी ऐन वक्त पर उसका साथ छोड़ते हुए प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियाँ वापस ले ली। एफएटीएफ का यह कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ, बैंक और ऋण देने वाली अन्य संस्थाएं वहां निवेश करने से पहले कई बार सोचेंगी। पाकिस्तान के लिए विदेशी निवेश लाना मुश्किल हो जायेगा। अमेरिका के दबाव में इस प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग कराई गई जिसमें ज्यादातर देशों ने पक्ष में वोट डाला।

अमेरिका का साफ कहना है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताओं को लागू करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया है। पिछले महीने ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली करोड़ो डॉलर की सैन्य सहायता रोक दी थी। भारत भी सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करता रहा है। पाकिस्तान को इससे पहले साल 2012 से 2015 तक इस लिस्ट में डाला गया था।

पृष्टभूमि

एफएटीएफ, मनी लॉड्रिंग और सीएफटी आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना आदि की समस्याओं से निपटने के लिए एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मनी लॉन्ड्रिग की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए पेरिस में 1989 में जी-7 का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में एफएटीएफ का गठन किया गया

था। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का गठन एक अंतर-शासकीय निकाय के रूप में किया गया था। एफएटीएफ का उद्देश्य धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण पर नियंत्रण रखना था लेकिन वर्ष 2001 में इसके कार्य का दायरा बढ़ाया गया। अब एफएटीएफ किसी भी देश के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध जैसी कार्यवाही कर सकती है। एफएटीएफ 37 देशों का वैश्विक संगठन है जिसका प्रमुख कार्य धन-शोधन, आतंकवाद वित्तपोषण के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानदंड बनाना है। विधिक, विनियामक और परिचालनात्मक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। एफएटीएफ अपने सदस्यों द्व ारा आवश्यक उपायों के कार्यान्वयन, एवं प्रगति की निगरानी करता है। धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण तथा प्रत्युपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक स्तर पर उचित उपायों को अपनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एफएटीएफ का निर्णायक दल वर्ष में तीन बार बैठक आयोजित करता है। एफएटीएफ के वर्तमान शासनादेश (2012-2020) को अप्रैल 2012 में मंत्रीस्तरीय बैठक में अपनाया गया था। सदस्य देशों के वित्तमंत्री और केन्द्रीय बैंक के गवर्नर एफएटीएफ के सदस्य हैं।

एफएटीएफ की प्रभावशीलता

एफएटीएफ एक कार्यवाही बल है इसका महत्व दिनो-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका वित्त पोषण सदस्य देशों द्वारा किया जाता है तथा एक विशेष समय तक इसके शासनादेश को बढ़ाया जा सकता है। एफएटीएफ की प्रभावशीलता कई कारकों से उत्पन्न होती है।

- पहला, यह संगठन अपने सदस्य देशों में से किसी को भी अधिभावी वोटिंग का अधिकार नहीं देता है।
- दूसरा, एफएटीएफ ने 'नेमिंग और शेमिंग' अर्थात नाम सूचि में डालो और बदनाम करो की नीति को अपनाया है जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी कभी-कभी इस नीति का सहारा लिया है। यह जरूरी नहीं है कि एफएटीएफ को एक पॉलिसी के रूप में लागू किया जाए। यह किसी विशिष्ट देश के संबंध में आतंकवाद की प्रभावशीलता को पहचानने के लिए एक नीति के रूप में लागू नहीं किया गया है।
- तीसरे, विश्व के देश संयुक्त राष्ट्र के दायरे में रहते हुए उन राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं यद्यपि विटो बाधा के अलावा इसे लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की असमर्थ है। और इस प्रकार शायद ही कभी इस तरह की वांछनीय परिणाम देखने को मिले।
- चौथे, तकनीकी पैरामीटर के बजाय संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां प्रायः राजनीतिक विचारों द्वारा गहराई से प्रभावित होती हैं, जो व्यावसायिक विश्लेषण पर आधारित हैं। जैसा कि एफएटीएफ के मामले में देखा जाता है।
- वास्तव में एफएटीएफ किसी भी देश को आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता हैं जहां कि अर्थव्यवस्था अनैतिक कार्यो में संलग्न रहती हैं।

वर्तमान परिदृश्य

पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को इस सूची में डाला गया है। इससे पहले-पाकिस्तान को तीन साल (2012-15) तक सूची में डाला गया था। पाकिस्तान को 'वॉच लिस्ट' में रखा गया है और जून में होने वाली बैठक में इसकी अधिकारिक पुष्टि की जायेगी कि पाकिस्तान को ग्रेलिस्ट से बाहर निकाला जाए या फिर, इथोपिया ईराक, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिडाड टोबैगो, ट्यूनीशिया, वानातु और यमन जैसे देशों के साथ काली सूची में डाला जाए। इसके लिए 'इंटरनेशनल को-ऑपरेशन रिव्यू ग्रूप' (आईसीआरजी) द्वारा पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखा जाएगा। पाकिस्तान को वॉचलिस्ट में वापस भेजने के अमेरिकी और ब्रिटिश प्रस्ताव पर सऊदी अरब, तुर्की, रूस और चीन ने असहमति जताई थी। इस पर वाशिंगटन ने दूसरा प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने रियाद के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्हें याद दिलाया कि दोनों देशों की व्यापक आर्थिक साझेदारी है, बाद में सऊदी अरब भी पाकिस्तान को समर्थन देने की बात से पीछे हट गया। चीन जो हाल ही में एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बना है, उसने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करता रहा है इस लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ''अमेरिका ने 'गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल' (सऊदी अरब की अगुवाई में) को राजी कर लिया। इधर रूस भी पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था जिसने भारत की वजह से पाकिस्तान का समर्थन छोड़ दिया। चीन के लिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को देखते हुए यह मुश्किल कार्य था लेकिन चीन एफएटीएफ में शीर्ष स्थान के लिए पैरवी कर रहा था इसके लिए उसे प्रायोजक देशों के समर्थन की आवश्यकता थी। पाकिस्तान पर चीन की तटस्थता के बदले भारत और अमेरिका ने चीन को समर्थन देने की बात कही।

पाकिस्तान को अब 'आईसीआरजी' को एक एक्शन प्लान पेश करना होगा। अगर उसे मंजूरी दी जाती है, तो इसे 'ग्रेलिस्ट' में औपचारिक रूप से रखा जाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियाँ पाकिस्तान को इस सूची में बने रहने की सीमा को निर्धारित करेंगे। अगर पाकिस्तान कोई योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो एफएटीएफ को यह विकल्प होगा कि वह इस देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दे। पाकिस्तान को प्रतिबंधित सूची में डालने का प्रस्ताव इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई थी, उसे पूरा करने में असमर्थ रहा है।

ध्येयIAS most trusted since 2003

एफएटीएफ की उपलब्धियाँ

एफएटीएफ के गठन से पहले आतंकवाद प्रभावित देशों को खुद ही आतंकी घटनाओं से निपटना पड़ता था। लेकिन एफएटीएफ के गठन के बाद वैश्विक स्तर पर आतंकी फंडिंग तथा मनी लॉड्रिंग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास विश्व के देशों द्वारा किया जा रहा है। इसका असर यह है कि जून 2000 की रिपोर्ट में कुल 15 देशों को 'ग्रे लिस्ट में डाला था, वहीं 2012 में 19 देशों को। 23 फरवरी, 2018 को निम्नलिखित देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इसमें इथोपिया, ईराक, सर्बिया, पाकिस्तान, सीरिया, ट्रीनीडाड एवं टोबैको, ट्यूनिशिया, वनुआतु यमन आदि। पाकिस्तान को भी जून 2018 में इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

आतंकवाद से लड़ने के लिए पहले विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती थी या, फिर सैनिक कार्यवाही की जाती थी जैसे-अमेरिका का ईराक-ईरान मामला, आदि लेकिन एफएटीएफ की स्थापना के बाद यह पहली बार है कि आतंक प्रभावित देश वित्त का मार्ग चुनते दिख रहे हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिये जाने वाले वार्षिक सहायता को रोका जाना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है क्योंकि आतंक प्रयोजित देश अपनी सहायता राशि का उपयोग देश के विकास में न कर आतंकवादी गतिविधियों में करते रहे हैं।

एफएटीएफ के गठन के बाद आतंकवाद को देश प्रयोजित होने की बजाय एक वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि चीन एवं रूस ने भी भारत का समर्थन किया है।

आतंकवाद का स्वरूप अब बहुत बदल चुका है जो शक्तिशाली देशों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। चूंकि पाकिस्तान में दो तरह के आतंकवादी संगठन सक्रिय है पहला हक्कानी नेटवर्क तथा दूसरा लश्कर-ए-तैयबा। अमेरिका को यह डर रहता है कि अगर पाकिस्तान पर कड़े फैसले लेता है तो इसका सीधा लाभ चीन को मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान चीन का मित्र रहा है जिससे शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। वहीं चीन की बात करें तो चीन ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है जिससे अगर कभी चीन पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाता है तो उसकी घेरे की नीति तथा अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग सकता है। फिर भी इन देशों ने पाकिस्तान को ग्रेलिस्ट में डालने का निर्णय लिया है जो एफएटीएफ की एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रभाव

पाकिस्तान में अगले 6 महीने में चुनाव होने की संभावना है ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है कि लोगों को यह पता चले कि उनका देश ग्रेलिस्ट में है। इस सूची में शामिल देशों की निगरानी में वृद्धि होगी इससे व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रभावित होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ इन देशों के लिए आगे डाउनग्रेड जारी कर सकती हैं। विदेशी लेनदेन तथा विदेशी मुद्रा प्रवाह में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ चालू खाता का घाटा और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए उसी तरह की मुश्किल घड़ी हो सकती है जब भुगतान संतुलन के लिए 2013 में उसे आईएमएफ के बेलआउट की जरूरत पड़ी थी। पाकिस्तान का अन्य देशों के साथ राजनैतिक जुड़ाव में कमी आ सकती है। साथ ही रोजगार परिदृश्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के लिये ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर घेरने की कोशिश करता आ रहा है। पाकिस्तान पर वित्तीय प्रतिबंध लगने से आतंकी फंडिंग पर रोक लगेगी और सीमा पर शांति बहाल होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनेगा साथ ही पाकिस्तान में भी स्थिरता आयेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने से पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो जल्द से जल्द इस सूची से बाहर निकले।

चुनौतियाँ

हक्कानी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते समय गोपनीय समूह के सभी 37 सदस्य आपस में सहमत नहीं थे। वास्तव में, रिपोर्टों से पता चलता है कि आखिरकार जो फैसला अंत में सर्वसम्मति से सामने आया, वह अमेरिकी उग्रता, तथा भारतीय प्रयासों का प्रतिफल था। क्योंकि सऊदी अरब, तुर्की, रूस और चीन ने पाकिस्तान को वॉचलिस्ट में डालने का विरोध किया था।

- विभिन्न देशों के आर्थिक संबंध भी एफएटीएफ के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है जैसे चीन का पाकिस्तान में भारी निवेश, वन बेल्ट वन रोड, तथा चीनी घेरे की नीति को नुकसान पहुँच सकता है।
- अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद भी एक चुनौती है क्योंकि भारत के व्यापक दबाव के बाद भी जमात-उद-दावा प्रमुख खुले आम अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। जबकि आतंकवाद, आतंकवाद होता है न कि अच्छा या बुरा।
- आतंकी गतिविधियों में संलग्न देशों को सीधे ब्लैक लिस्ट में शामिल न किया जाना भी एक समस्या है। क्योंकि ग्रे लिस्ट में डालने से कुछ समय के लिये इन देशों द्वारा आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तो की जाती है लेकिन जैसे ही ये देश ग्रेलिस्ट से बाहर होते है, फिर उन्हीं गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं जैसे पाकिस्तान 2012-2015 तक इस सूची में शामिल किया गया था।

आगे की राह

आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है और आये दिन कहीं न कहीं आतंकी हमलों से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में विश्व के देशों को तुष्टिकरण की राजनीति को छोड़कर एकजुटता के साथ इस वैश्विक समस्या का स्थायी हल ढूँढना होगा तथा कड़े वित्तीय और आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने होंगे।

- एफएटीएफ के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न देशों के आर्थिक संबंधों को दरकिनार कर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि जब मानव ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर आर्थिक हित अच्छे होने से कोई फायदा नहीं होगा।
- अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसी शब्दावली से बाहर निकलने की जरूरत है जो भी देश इस तरह की गतिविधियों में संलग्न हों उन पर चौतरफा वैश्विक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है ताकि वैश्विक शांति को कायम किया जा सके।
- एफएटीएफ को और मजबूत बनाने की जरूरत है। ताकि वैश्विक मनी लॉड्रिंग और आतंक वित्तपोषण जैसी समस्याओं से निजात मिल सके। आतंकी गतिविधियों में संलग्न देशों को सीधे ब्लैक लिस्ट में डालने की आवश्यकता है जिससे विश्व समुदाय को एक संदेश मिल सके कि आतंकवाद जैसी समस्या पर कोई समझौता नहीं हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों के भविष्य निर्माण की पहल

प्रश्नः हाल ही में प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन को जन आंदोलन के रूप में चलाने पर बल दिया है। इसकी विशेषताओं की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- विशेषताएँ।
- इसकी आवश्यकता क्यों?
- कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी पहल।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के झुंझनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने इसे सफल बनाने के लिए सरकारी प्रयास के साथ ही जनआंदोलन के रूप में चलाने पर बल दिया।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय पोषण मिशन देश में पोषण के स्तर को युद्धस्तर पर बढ़ाने का एक समग्र प्रस्ताव है।

विशेषताएँ

एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (NHM) द्वारा सभी मंत्रालयों में पोषण संबंधित पहलों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारण और मार्गदर्शन किया जाएगा।

- यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा।

इस मिशन की आवश्यकता क्यो?

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है।

- दस वर्ष पहले जब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े सामने आए तो पता लगा कि देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं।

कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी पहल

भारत सरकार, समस्त राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों आंगनबाड़ी केन्द्रों, आशा मित्रों के सहयोग और माध्यम से जरूरी पोषक तत्वों आयरन व कैल्शियम की दवाएं बिल्कुल नि:शुल्क उपलब्ध करवाती है।

आगे कि राह

आंगनवाड़ी, आशा, एसएनएम, सीडीपीओ, सुपरवाइजर एवं कार्पोरेट क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेकर पोषण के क्षेत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य एवं भविष्य पर ही भारत का भविष्य निर्भर है। ■

2. कृषि मशीनरी प्रोत्साहन के तहत फसल अवशेषों का सफल प्रबंधन

प्र. हाल ही में केन्द्र सरकार ने फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन को स्वीकृति दी है। इसके कार्यान्वयन एजेन्सियों की चर्चा करते हुए फसल अवशेष निपटान में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करें

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- कृषि मशीनरी प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों?
- सरकारी पहल।
- कार्यान्वयन एजेन्सियाँ।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन को अपनी स्वीकृति दे दी है।

कृषि मशीनरी प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों

- इधर कुछ वर्षो से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों के जलाने से वायु प्रदूषण का विभत्स रूप देखने को मिला है।
- खेतों की उर्वराशक्ति कम होती जा रही है तथा खेत बंजर होते जा रहे हैं।
- फसल उत्पादन कम होते जा रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

सरकारी पहल

- केन्द्र सरकार ने कृषि मशीनरी प्रोत्साहन पर सब्सिडी हेतु वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए विशेष नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (100% केन्द्रीय) को शुरू करने की घोषणा की है।

- पराली प्रबंधन के लिए खरीदे गये मशीन पर सरकार 80% तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता के लिये राज्य सरकारों, किसान विकास केन्द्र, ICAR संस्थानों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को सूचना, शिक्षा तथा प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्यान्वयन एजेन्सियाँ

- केन्द्रीय स्तर पर यह योजना कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित होगी।
- कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो योजना की निगरानी तथा प्रगति व प्रदर्शन की समीक्षा भी करेगी।
- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, परियोजना तैयार करने, लागू करने और जिलों में निगरानी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी।
- राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सरकार अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य कृषि विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेन्सी होंगे।
- इसके अलावा राज्य नोडल विभाग/जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) लाभार्थी की ऋण आवश्यकता के लिए बैंकों के साथ गठबंधन करेंगे।
- चयनित लाभार्थी के नाम एवं वितरण जिला स्तर पर दस्तावेजों में शामिल किए जाएगें जिसमें उनके आधार/यूआईडी नम्बर तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता दिखाई जाएगी।

निष्कर्ष

केन्द्र ने फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में कदम उठाकर एक सराहनीय कार्य किया है। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण तथा भूमि को बंजर होने से रोका जा सकता है बल्कि इसकी सहायता से किसानों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। फसल अवशेष किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और इस योजना से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। ■

3. गोबर–धन योजनाः समृद्ध ग्रामीण जीवन का प्रबंधन

प्रश्नः हाल ही में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने वित्तीय बजट में गांव और किसानों की दिशा बदलने के लिए गोबर धन योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना ग्रामीण भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन में किस प्रकार की बदलाव लाएगी, समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- आवश्यकता क्यो?
- योजना की सफलता के लिए की जा रही पहल।
- गोबर धन योजना के लाभ।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नई योजना गोबर-धन की घोषणा की है।

- वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे।

पृष्ठभूमि

गोबर धन योजना की शुरूआत 1 फरवरी 2018 बजट के साथ हुई है।

- इस योजना के तहत किसान भाई अपने पशुओं का गोबर भूसा पत्ते इत्यादि को कंपोस्ट बायोगैस सीएनजी में बदल सकते हैं।

आवश्यकता क्यों

देश में मवेशियों से हर साल 120 करोड़ टन गोबर मिलता है। इसमे से आधा उपलों के रूप में चूल्हों में जल जाता है। यदि इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो 2000 मेगावाट ऊर्जा पैदा की जा सकती है। साथ ही खेतों में प्रयोग करने से रासायनिक खादों और दवाओं का खर्च कम होगा तथा जमीन की ताकत भी बनी रहेगी।

योजना की सफलता के लिए की जा रही पहल

सरकार ने 19 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जो गोमूत्र से लेकर गोबर और गाय से मिलने वाले हर पदार्थ पर शोध को प्रोत्साहित करेगी।

- बायोवेद शोध संस्थान के वैज्ञानिक ऐसे संयंत्र तैयार करने में जुटे हैं जिनसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन तैयार किए जा सकें।

गोबर धन योजना के लाभः

इस योजना से किसान भाई अपने पशुओं का गोबर भूसा, पत्ते आदि को कंपोस्ट बायोगैस सीएनजी में बदल सकते हैं। बिजली उत्पादन में मदद के साथ ही स्वच्छता अभियान में भी यह योजना मददगार साबित होगी।

आगे की राहः

भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। जिससे गोबर का सही इस्तेमाल न केवल ग्रामीण जीवन का तकदीर बदल सकता है, बल्कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और ग्रामीण जीवन को प्रदूषण मुक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ■

4. क्वाड (QUAD) सामरिक या रणनीतिक चतुर्भुज

प्र. एशिया प्रशान्त क्षेत्र में बनने वाले चतुष्कोणीय संगठन (क्वाड्) के उद्देश्यों का भारत की रणनीतिक और सामरिक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

- पृष्ठभूमि।
- चतुष्कोंणीय गठबंधन (क्वाड्) के उद्देश्य।
- क्वाड् के निर्माण से भारत को लाभ।

- क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)?
- चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट और भारत।
- भारत के लिए भविष्य की राहे।

निष्कर्ष

- हाल ही में क्वाड् (QUAD) गठबंधन को लेकर अमेरिका -भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान जल्द ही एक कार्यनीति बना सकते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंसियल रिव्यू ने अपने लेख के माध्यम से इस बात की पुष्टि की।
- इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रथम मंत्री ने फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर क्वाड् पर चर्चा की।

पृष्ठिभूमि

- चार देशों के चतुष्कोंणीय संगठन क्वाड् के निर्माण को धरातल पर लाने वाली प्रथम पहल, वर्ष 2017 में मनीला में आयोजित आसियान सम्मेलन के दौरान हुई थी। जबकि इसकी वैचारिक स्तर पर पहल, वर्ष 2007 से हो रही है। वर्ष 2007 में क्वाड् के लिए पहला प्रस्ताव सिंजों अबे द्वारा रखा गया था।
- इस नीति को विस्तार देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वर्ष 2015 में भारत आए थे जहाँ पर भारत और अमेरिका ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर कर क्वाड् (चार देशों के संगठन) के निर्माण के लिए आधार प्रदान किया।

चतुष्कोणीय गठबंधन क्वाड के उद्देश्य

इसके मुख्यत: दो उद्देश्य है:- पहला एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैरिटाइन सिक्योरिटी के साथ इनहैंसमेंट ऑफ कनेक्टविटी को बढ़ावा देना दूसरा उद्देश्य चीन की विस्तारवादी नीति चाहे वह हिंदमहासागरीय क्षेत्र में हो या द० चीन सागरीय क्षेत्र में कंट्रोल करना और चीन के (BRI) प्रोजेक्ट के विकल्प के तौर पर क्वाड को आधार प्रदान करना इस योजना के प्रमुख लक्ष्य है।

क्वाड् के निर्माण से भारत को लाभ

- क्वाड के निर्माण से भारत सबसे बड़े नीली अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है।
- चीन द्वारा हिंद महासागरीय क्षेत्र में निर्मित स्ट्रिग्स ऑफ पर्ल योजना पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

क्वाड् पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्तों में मजबूती लाएगा। इसके साथ ही चीन के बीआरआई प्राजेक्ट से भारत की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी क्वाड् के निर्माण से इस पर दबाव निर्मित किया जा सकता है।

क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई)

- यह चीन की परियोजना है जिसे पहले वन रोड वन बेल्ट (OBOR) कहा जाता था।
- इस योजना का उद्देश्य 65 देशों को सड़क मार्गों, रेल मार्गो के साथ जोड़ना है।
- इस प्रोजेक्ट को न्यूसिल्क रोड भी कहा जाता है।

चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट और भारत

चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (CECP) भी बीआरआई का हिस्सा है। इसी वजह से भारत ने चीन के इस बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि यदि भारत इसमें शामिल होता है तो इसका अर्थ CECP को अनुमति प्रदान करना है जबकि भारत इसका हमेशा विरोधी रहा है।

भारत के लिए भविष्य की राह

- चूकि क्वाड् को अभी धरातल पर आने में काफी वक्त लग सकता है इस लिहाज से भारत को तब तक चीन के साथ अपने रिस्तों को अन्य उद्देश्यों से बढ़ाना होगा।
- इसके लिए भारत को अपने पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करने होंगें।
- चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना होगा। भारत को चीन के उन उद्देश्यों को पहचानना होगा जहाँ दोनों के हित साझा हो सकें।

निष्कर्ष

चतुष्कोंणीय गठबंधन (क्वाड्) भारत के लिए निश्चित ही एक लाभदायक स्थिति प्रदान करेगा क्वाड् के निर्माण से भारत की अर्थव्यवस्था को विकास तो मिलेगा ही साथ ही यह हिंदमहासागरीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को सामरिक दृष्टि से मजबूती प्रदान कर पाएगा।

चीन के विस्तारवादी रवैये की भावना को निश्चित ही अंकुश लगाया जा सकेगा। और भारत आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो सकेगा। ■

5. समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

प्रश्न: शिक्षा में समावेशीकरण की चुनौतियों की चर्चा करते हुए बताइए कि भारत सरकार का वर्तमान वार्षिक बजट शिक्षा में समावेशीकरण लाने को किस प्रकार गति प्रदान करेगा?

उत्तर:

- चर्चा में क्यों?
- पृष्ठभूमि।
- समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों?
- समावेशी शिक्षा के विकास के लिए वर्तमान प्रयास।
- समावेशी शिक्षा के लिए चुनौतियाँ।
- आगे की राह।
- निष्कर्ष।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 'राइज' योजना के तहत अगले 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।

सरकार का यह बजट शिक्षा में समावेशीकरण लाने और शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु केन्द्रित है। इसके इतर समावेशी शिक्षा के लिए अभी हाल ही में फिजी में राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

पृष्ठभूमि

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में प्रथम प्रयास 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग, वर्ष 1952 में मुदालियार आयोग तथा वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों?

समावेशी शिक्षा का लक्ष्य समाज के सभी बच्चों को चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक व लैंगिंक रूप या किसी भी रूप में पिछड़े हों, को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।

समावेशी शिक्षा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है।

हमारे संविधान में भी सभी को समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, समावेशी शिक्षा जिसका आधार स्तंभ है।

समावेशी शिक्षा के विकास के लिए वर्तमान प्रयास

समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने आरटीई कानून के पश्चात कई प्रयास किए हैं। इस वर्ष के बजट में शिक्षा पर सर्वाधिक आवंटन किया गया है। शिक्षा में आदिवासियों के समावेशन के लिए 'एकलव्य' स्कूल योजना, बड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से 13 लाख शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, बीएड एकीकृत कार्यक्रम, तकनीकी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फैलो स्कीम 'इसके अलावा देश भर से 1 हजार बीटेक छात्र-छात्राओं को आईआईटी में रिसर्च के लिए चुना जाएगा। इन सब प्रयासों से लगता है कि अब सरकार शिक्षा में सुधार हेतु जागरूक हुई है।

इससे पहले भी सरकार ने शिक्षा में सुधार हेतु कई प्रयास किए जैसे 'बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओं कस्तूरबा गांधी आवाशीय बालिका विद्यालय इसके अलावा स्वयं पोर्टल, को डीटीएच से जोड़ना आदि महत्वपूर्ण हैं।

समावेशी शिक्षा के लिए चुनौतियाँ

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रयास तो किए गए पर प्रयास संतुष्टिजनक साबित नहीं रहे हैं। वर्तमान में भी कई चुनौतियाँ शिक्षा क्षेत्र में बाधक बनी हुई हैं। आज भी विद्यालयों व स्कूलों में आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर विद्यमान नहीं है। शिक्षक छात्र अनुपात ठीक नहीं है, ड्रापआउट की समस्याएं हैं। सरकार द्वारा शिक्षा में पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता है।

आगे की राह

हमारे संविधान में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः शिक्षा में अधिक से अधिक समावेशन को बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाना होगा।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा पर महत्वपूर्ण कदम निर्धारित किए गए हैं इसीलिए सरकार ने अगले 4 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का शिक्षा बजट भी आवंटित किया है। इस बार शिक्षा बजट में समावेशन के लिए एकलव्य स्कूल जैसी योजनाएँ भी लाई गई हैं। कुल मिलाकर सरकार को शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ इसको समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रयास निरंतर करते रहने होगें। ■

6. वर्तमान समय में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता

प्र. आज वैश्विक परिदृश्य में शीत युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। ऐसे समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन कितना प्रासंगिक है? इस आंदोलन की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वर्तमान में इसकी समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ।
- पृष्ठभूमि।
- गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ।
- वर्तमान परिदृश्य।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियाँ।
- आगे की राह।

संदर्भ

- आज के वैश्विक परिदृश्य को देखें तो ऐसा लग रहा है कि शीत युद्ध एक बार फिर फूट पड़ा है।
- अमेरिका, रूस और चीन को अपने प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है। इन देशों के नेताओं 'शी निजपिंग' और ब्लादीमीर पुतिन का ऐसा मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरूद्ध उनको मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है।
- क्यूबा एक बार फिर ईरान के नेतृत्व में बुराई की धुरी बनकर उभरा है।

पृष्ठभूमि

- गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास 20 वीं सदी के मध्य में छोटे राज्यों विशेषकर नये स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत प्रयास से हुआ।
- इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्रपति जोसिप ब्रॉज टीटो (यूगोस्लाविया) मिश्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर द्वारा की गई थी।

गुट-निरपेक्षता की उपलब्धियाँ

- 1986 के हरारे अधिवेशन में आतंकवाद के खिलाफ विश्व व्यापी संघर्ष छेड़ने पर जोर। पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना आदि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया था।
- विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना, उन्मुक्त वातावरण का निर्माण, विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद आदि को दर्शाएँ।

वर्तमान परिदृश्य

चीन व रूस द्वारा अमेरिका को अपना विरोधी मानना, भारत का ईरान से नजदीकियां, भारत-चीन डोकलाम विवाद।

- भारत, अमेरिका तथा चीन में विवाद का कारण बनता जा रहा है।
- वर्तमान समय में विश्व त्रिध्रुवीय या द्विध्रुवीय न होकर बहु-ध्रुवीय होता जा रहा है।

गुट निरपेक्ष नीति की प्रासंगिकताः

- गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाए हुए लगभग 60 साल होने को है। यह नीति अपनी प्रगतिशील एवं समतावादी अवधारणा के कारण आज भी प्रासंगिक है।
- गुट-निरपेक्ष नीति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन करती है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियाँ

- वैश्विक महाशक्तियां गुट-निरपेक्ष देशों पर आर्थिक दबाव डालती रहती हैं। इन देशों में व्याप्त तनाव, वैमनस्य, विवाद आर्थिक पिछड़ापन आदि की चर्चा करें।
- वैश्विक संबंधों का जटिल होना, बहु-ध्रुवीय शक्तियों का उदय, गुट-निरपेक्ष आंदोलन को नये रूप में रूपांतरित करने की समस्या, जिन्होंने एनएएम की शुरूआत की वो खुद ही अलग-अलग ग्रुप बनाते जा रहे हैं।

आगे की राह

- विकासशील देशों को चाहिए कि वो अपने आर्थिक हित के हिसाब से नये गठबंधन करें लेकिन अपने रिश्तों को आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रखकर इस आंदोलन को नई दिशा दे सकते हैं।
- गुट-निरपेक्ष देश आपस में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते है।
- विवादों को समाप्त करने के लिए एनएएम का वार्षिक अधिवेशन बुलाए जाने की आवश्यकता है। विश्व आज बारूद की ढेर पर बैठा है ऐसे में एनएएम की नीतियों को अपनाने की जरूरत है। आदि की चर्चा करें। ■

7. फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स की बढ़ती सक्रियता

प्र.: एफएटीएफ द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को 'ग्रेलिस्ट' में डालने का निर्णय लिया गया है। आतंकी फंडिंग तथा मनी लॉड्रिंग के संदर्भ में ये कितना प्रभावशाली हो सकता है? एफएटीएफ की उपलब्धियों को दर्शाते हुए इसके राह में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- एफएटीएफ की प्रभावशीलता।
- वर्तमान परिदृश्य।
- एफएटीएफ की उपलब्धियाँ।
- प्रभाव।
- चुनौतियाँ।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

हाल ही में पेरिस में संपन्न ''फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) की बैठक में पाकिस्तान को ग्रेलिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

- ग्रेलिस्ट में शामिल देशों पर आतंकी फंडिंग तथा मनी लॉड्रिंग को रोकने के लिए इन देशों पर कड़ी निगरानी में रखी जाती है।
- पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में समर्थन किया है।

पृष्ठभूमि

एफएटीएफ, मनी लॉड्रिंग और सीएफटी (आंतकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना)की समस्याओं से निपटने के लिए एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।

- आतंकी फंडिंग, तथा मनी लॉड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए पेरिस में 1989 में जी-7 के सम्मेलन में एफएटीएफ का गठन किया गया था।
- एफएटीएफ एक अंतर-शासकीय निकाय है। जिसका उद्देश्य धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण पर नियंत्रण लगाना था। लेकिन 2001 में इसका दायरा बढ़ा कर इसमें वित्तीय प्रतिबंध जैसे कार्रवाई को शामिल किया गया।

एफएटीएफ की प्रभावशीलता

- यह संगठन अपने सदस्य देशों में से किसी को भी अधिभावी वोटिंग का अधिकार नहीं देता है।
- एफएटीएफ ने 'नेमिंग शेमिंग' अर्थात नाम सूचि में डालो और बदनाम करो की नीति को अपनाया है। विश्व के देश संयुक्त राष्ट्र के दायरे में रहते हुए उन राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को पुनः 'ग्रेलिस्ट' में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी पाकिस्तान को इस सूचि में डाला जा चुका है।
- 'इंटरनेशनल को ऑपरेशन रिव्यू ग्रुप' (आईसीआरजी) द्वारा पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखा जायेगा। इस सूचि से निकलने के लिए पाकिस्तान को अब एक एक्शन प्लान पेश करना होगा।

एफएटीएफ की उपलब्धियाँ

- एफएटीएफ के गठन के बाद वैश्विक स्तर पर आतंकी फंडिंग तथा मनी लॉड्रिंग को रोकने के लिए विश्व के देशों द्वारा सामुहिक प्रयास किया जा रहा है।
- आतंकवाद से लड़ने के लिए अब विचारधारा, सैनिक कार्रवाई के साथ-साथ वित्तीय तथा आर्थिक प्रतिबंध का सहारा लिया जा रहा है।

प्रभाव

जिन देशों को इस सूचि में शामिल किया जाता है उन देशों का व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रभावित होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा इन देशों की अर्थव्यवस्था को डाउनग्रेड किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

पकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते समय गोपनीय समुह के सभी 37 सदस्यों का आपस में सहमत ना होना अर्थात तुष्टीकरण राजनीति, विभिन्न देशों के आर्थिक संबंध, अच्छा तथा बुरा आतंकवाद, आतंकी गतिविधियों में संलग्न देशों को सीधे ब्लैक सूचि में न डाला जाना आदि की चर्चा करें।

आगे की राह

आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है ऐसे में विश्व के देशों को तुष्टिकरण की राजनीति को छोड़ने की जरूरत है।

- एफएटीएफ के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न देशों के आर्थिक संबंधों को दरकिनार कर आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है।
- अच्छा तथा बुरा आतंकवाद जैसी शब्दावली से बाहर निकलने की आवश्यकता है। साथ ही एफएटीएफ को और मजबुत करने की आवश्यकता है। ■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारत और फ्रांस के मध्य 14 समझौतों पर हस्ताक्षर

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों चार दिन के दौरे पर भारत आये हैं, इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में 14 अहम समझौते किए यह समझौते रेलवे, शहरी विकास, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किए गए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हम सिर्फ दो सशक्त स्वतंत्र देशों और दो विविधतापूर्ण लोकतंत्रों के ही नेता नहीं हैं, हम दो समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी हैं।

भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौतों की सूची

- नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और रासायनिक प्रीकर्सर्स और संबंधित अपराधों में अवैध खपत और अवैध आवागमन की रोकथाम।
- भारत-फ्रांस प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी हेतु समझौता।
- भारत और फ्रांस के मध्य अकादमिक योग्यताओं को संयुक्त रूप से मान्यता प्रदान करने हेतु समझौता।
- भारत और फ्रांस के बीच उनके सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक रस समर्थन के प्रावधान के संबंध में समझौता।
- पर्यावरणीय मामलों पर सहयोग हेतु भारत और फ्रांस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- सतत शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- वर्गीकृत या संरक्षित जानकारी के विनिमय और पारस्परिक संरक्षण के संबंध में भारत और फ्रांस के बीच समझौता।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एवं फ्रांस के अंतरिक्ष संबंधी संगठन के मध्य समुद्री जागरूकता मिशन हेतु समझौता।
- भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय समझौता।
- एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन यूरो का भारत और फ्रांस के बीच क्रेडिट सुविधा समझौता।
- भारत के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, फ्रांस के नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टिट्यूट के मध्य समझौता ज्ञापन।

भारत-फ्रांस संबंध

भारत और फ्रांस के मध्य रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक गठजोड़ है। हाल ही में हुए समझौतों के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का भी आह्वान किया। हिन्द महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु समझौता बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक दूसरे के लॉजिस्टिक के उपयोग में सहयोग देना भी दोनों देशों के संबंधों में अहम भूमिका निभा सकता है।

■

2. नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तारों के बीच पानी की खोज की

नासा के वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष में तारों के बीच पानी की खोज की है। इसे जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप की मदद से देखा गया है। यह एक ऐसे बादल हैं जिनमें पूरे ब्रम्हांड में सबसे अधिक पानी मौजूद रहता है। यह अुणओं से बना एक बादल है, जो धूल, गैस और छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर बना है।

प्रमुख तथ्य

चूंकि पानी जीवन के लिए सबसे अहम चीजों में शुमार है, इसलिए वैज्ञानिक अब वहां जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। दरअसल, टेलीस्कोप द्वारा देखा गया यह बादल ऐसा है, जिनमें पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पानी मौजूद रहता है। यह अणुओं से बना एक बादल है, जो धूल, गैस और छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर बना है।

यह पानी तारों के ग्रहों की छोटी कक्षा तक पहुंचाया जाता है। इन बादलों के भीतर, छोटे धूल कणों की सतहों पर पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हॉइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यह कार्बन मिथेन बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है।

नीदरलैंड स्थित यूनिवर्सिटी वैन एम्स्टर्डम के मेलिस्सा मैकक्लोर के मुताबिक, यदि हम आणिवक बादल में बर्फ के बनने की जटिल रासायनिक प्रक्रिया को पूरी तरह समझने में सफल हो जाते हैं तो हमें पता चल सकेगा कि एक तारे और उसके ग्रहों के निर्माण में ये बादल किस तरह से शामिल होता है।

इसके जरिए स्टार सिस्टम को समझने में मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न जांचे की जाएंगी। इसके परिणामों से उम्मीद है कि हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में सफल होंगे।

कैसे बनता है ये बादल?

यह बादल हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड से अमोनिया बनाते हैं। यह अणु धूल के कणों की सतह पर चिपकते हैं, जिससे लाखों वर्षों में बर्फीली परतें जमा करते हैं।

■

3. डब्ल्यूएचओ का तंबाकू उद्योग के लिए नए दिशा निर्देश

डब्लूएचओ ने व्यापक तम्बाकू नियंत्रण के संदर्भ में तंबाकू उत्पाद की भूमिका पर नया मार्गदर्शन शुरू किया है जिससे तंबाकू की मांग कम हो सकती है, बहुमूल्य जीवन बचाये जा सकते हैं और तम्बाकू से संबंधित बीमारियों का इलाज करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु राजस्व इकट्ठा किये जा सकते हैं।

एक नई मार्गदर्शिका, "टोबैको प्रोडक्ट रेगुलेशन: बिल्डिंग लेबोरेटरी टेस्टिंग कैपेसिटी",

और उन देशों की एक सूची जिन्होंने मेंथोल के विनियमन के लिए प्रस्ताव रखा, को एक घोषणा जिसका शीर्षक "केस स्टडीज फॉर रेगुलेटरी एप्रोचेस टू टोबैको प्रोडक्ट्स - मेंथोल इन टोबैको प्रोडक्ट्स" था, में दर्शाया गया है। मार्गदर्शिका और इस घोषणा को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में '2018 तंबाकू या स्वास्थ्य' पर विश्व सम्मेलन में लांच किया गया।

तंबाकू उत्पाद विनियमन

तम्बाकू उत्पाद विनियमन एक अंडर-यूजर टूल है जिसको तंबाकू के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तंबाकू उत्पाद विनियमन की जटिलता और इस क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण तम्बाकू उद्योग में लम्बे समय से बहुत कम या कोई विनियमन नहीं हुए हैं।

ये नए टूल्स देशों के लिए एक उपयोगी संसाधन प्रदान करते हैं जिससे कि वे या तो तंबाकू उत्पाद विनियमन प्रावधान को प्रारम्भ कर सकें या पहले से लागू विनियमन में सुधार कर सकें और तंबाकू उद्योग का शासन खत्म कर सकें।

तम्बाकू उत्पाद विनियमन प्रयोगशाला परीक्षण क्षमता को विकसित करने से तम्बाकू परीक्षण को लागू करने के लिए व्यावहारिक एवं चरणबद्ध दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है। इस तरह का मार्गदर्शन एक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों सहित विभिन्न परिस्थितियों में कई देशों के लिए प्रासंगिक है।

यह प्रयोगशाला गाइड देशों के लिए एक उपयोगी संसाधन है, और यह नियामकों और नीति निर्माताओं को तंबाकू उत्पादों का परीक्षण करने के बारे में समझने योग्य बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

अधिकांश देश इन नीतियों को लागू करने में संकोच करते हैं, क्योंकि इन नीतियों की प्रकृति उच्च तकनीक वाली होती है और विज्ञान को रेगुलेशन में अनुवादित करने में कई कठिनाईयां भी सामने आती हैं। ■

4. तालिबान ने 7.5 अरब डॉलर के TAPI पाइपलाइन प्रोजेक्ट का समर्थन किया

आतंकवादी संगठन तालिबान ने प्रस्तावित तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान -पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन को समर्थन देने की घोषणा की है। भारत के लिए यह परियोजना सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध के चलते ये परियोजना कई वर्षों से रुकी हुई थी। यह जानकारी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दी गई है। अफगानिस्तान में 500 मील से अधिक लंबी पाइपलाइन तालिबान नियंत्रित इलाके से गुजरेगी।

TAPI परियोजना से जुड़े मुख्य तथ्य

- यह गैस पाइपलाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (TAPI) के बीच प्रस्तावित है।
- यह परियोजना एशियाई विकास बैंक के आर्थिक सहयोग से पूरी की जाएगी।
- इस परियोजना पर 7.5 अरब डॉलर की लागत आने का अनुमान है, लेकिन परियोजना में देरी होने से इसकी लागत लगातार बढ़ रही है।
- इस परियोजना में पाइपलाइन की कुल लम्बाई लगभग 1680 किलोमीटर है।
- इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसमें शामिल चारो देशों को की जाएगी।
- यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के दौलताबाद गैस क्षेत्र से शुरू होकर अफगानिस्तान के हेरात व कंधार तथा पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर भारत में फाजिल्का तक आएगी।
- नवंबर, 2014 में भी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद में हुई वार्ता में परियोजना की राह की अधिकांश अड़चनों को दूर करने पर सहमति बन गई थी।
- चारों देशों के प्रमुख 2010 में ही इस परियोजना पर अंतरसरकारी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

TAPI परियोजना का लाभ

TAPI परियोजना से वार्षिक 33 अरब क्युबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। इससे हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इससे अफगानिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को भी काफी मदद मिलेगी। सरकारी कंपनियां तुर्कमेनगाज, अफगान गैस एंटरप्राइज और गेल इंडिया लिमिटेड इस पर काम कर रही हैं। इस पाइपलाइन के लिए सुरक्षा मुहैया करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यह दक्षिणी अफगानिस्तान से होकर गुजरती है जहां लगातार हमले होते रहते हैं। ■

5. सऊदी अरब में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन

सऊदी अरब में 04 मार्च 2018 को पहली बार महिलाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसे सऊदी अरब के आधुनिकीकरण और खेलों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में छह अप्रैल को एक और महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। सऊदी अरब में सुधारवादी अभियान जारी है। इस दौरान महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नए-नए कानून लाए जा रहे हैं।

उद्देश्य

महिलाओं के लिए खेल के प्रति रुचि जगाने के लिए यह दौड़ आयोजित की गई थी।

महिला मैराथन प्रतियोगिता से संबंधित मुख्य तथ्यः

- सऊदी अरब के अल-अहसा प्रांत में मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
- इस प्रतियोगिता में मैराथन दौड़ तीन किलोमीटर का था।
- मैराथन में अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों की महिलाओं सहित 1500 महिलाओं ने भाग लिया।
- सऊदी अरब की मिज्ना अल-नासर ने अलग-अलग देशों के उनके प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ मैराथन में प्रथम स्थान का पदक जीता।
- मैराथन दौड़ के दौरान अपनी पारंपरिक इस्लामी पोशाक में नजर आई महिलाओं में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह दिखाई पड़ा।

पृष्ठभूमि

सऊदी अरब अपनी रूढ़िवादी परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए जाना जाता रहा है. सऊदी अरब में महिलाओं के संबंध में नई - नई चीजो की आजादी का क्रम जारी है सऊदी अरब में जहां महिलाओं को पहले कई सामाजिक मुद्दों से दूर रखा गया वहाँ आज महिलाओं को खुली स्वतंत्रता दी जा रही है।

हालांकि इससे पहले पहली बार महिलाओं को पुरुष फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दी गई थी. इसके अलावा अब सउदी महिला अपने पति या पुरुष रिश्तेदार की सहमति के बिना भी अपने स्वयं के व्यवसाय खोल सकती है।

सऊदी अरब की सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन करने के लिए महिलाओं पर ड्राइविंग प्रतिबंध हटा दिया था। अब तक यहां की महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी. सऊदी अरब में महिलाओं ने पहली बार 2012 के ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। इसके अलावा दिसंबर 2015 में सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। ■

6. वैश्विक शहर सम्पत्ति में मुंबई 47वें स्थान पर

एक स्वतंत्र वैश्विक संपत्ति परामर्शदात्री द्वारा जारी वैश्विक शहर सम्पत्ति सूचकांक में भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को दुनिया भर के 314 शहरों में 47वां स्थान दिया गया है।

नाटक फ्रेंक वेल्थ रिपोर्ट 2018 द्वारा जारी किया जाने वाला "सिटी वेल्थ इंडेक्स" चार प्रमुख संकेतकों-धन, निवेश, जीवन शैली और भविष्य के आधार पर तैयार किया जाता है। दुनिया के 20 सबसे महंगे शहरों के संदर्भ में, जहाँ पर 1 मिलियन डॉलर से केवल 92 वर्ग मीटर (990.28 वर्ग फीट) का क्षेत्र खरीदा जा सकता है, मुंबई 16वें पायदान पर है।

इस मामले में पहले नंबर पर फ्रांस का मोनैको है। यहां 10 लाख डॉलर से सिर्फ 172.22 वर्ग फीट भूमि खरीदी जा सकती है। हांगकांग (236.81 वर्ग फीट) दूसरे और न्यूयॉर्क (269.09 वर्ग फीट) तीसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, "2017 और 2022 के बीच $250,000 से अधिक की वार्षिक की कमाई करने वाले हाउसहोल्ड्स के मामले में

मुंबई और दिल्ली शीर्ष 10 वैश्विक बाजारों में शामिल होगी।" रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और जापान के बाद धनी आबादी के संबंध में भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता होगा। वर्ष 2018 के लिए व्यापार पत्रिका फोर्ब्स की सूची के अनुसार, अरबपतियों की वैश्विक सूची में भारत के 121 अरबपति शामिल हैं। भारत की सबसे अमीर जनसंख्या ($5 मिलियन से ज्यादा) की प्राइम श्रेणी में 2016 और 2017 के बीच 47,720 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। इस वृद्धि की दर 21% रही है जो कि वैश्विक 9% से बहुत अधिक है और एशिया के औसत (14 प्रतिशत) का डेढ़ गुना है।

यह ध्यान दिए जाने योग्य तथ्य है भारत (121) दुनिया के अरबपतियों की संख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका (585) और चीन (373) से ही पीछे है। ■

7. चीन की संसद ने राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी।

हाल ही में, चीन की संसद ने 11 मार्च 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दो कार्यकाल की समय सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया था। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक चेयरमैन माओत्से तुंग के बाद आजीवन सत्ता में बने रहने वाले पहले चीनी नेता होंगे।

चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा खत्म करने के सीपीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चीनी संसद के 2,963 प्रतिनिधियों में से तीन मतदान से दूर रहे जबकि दो प्रतिनिधियों ने कम्युनिस्ट पार्टी की शक्तिशाली केंद्रीय समिति की ओर से फरवरी में प्रस्तावित संविधान संशोधन के विरुद्ध वोट डाले। मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्र का इस्तेमाल किया गया।

पुराना कानून क्या था?

पुराने कानून के मुताबित चीन में किसी व्यक्ति को लगातार दो बार ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता था।

भारत पर प्रभाव

शी चिनफिंग का कार्यकाल असीमित करने पर दुनिया भर में खासकर पड़ोसी देशों में चिंता पैदा हुई है, पिछले साल के डोकलाम गतिरोध को देखते हुए भारत पर इसका विशेष तौर पर प्रभाव पड़ेगा, शी चिनफिंग के नेतृत्व में चीन भारत के पड़ोसी देशों में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है, इनमें कश्मीर से होकर गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरीडोर, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ी हैं।

पृष्ठभूमि

चीन में अनिश्चितकाल तक शासन का नियम पहले भी रह चुका है। माओत्से तुंग चीन के बहुल बड़े क्रांतिकारी, राजनैतिक और कम्युनिस्ट दल के नेता थे। चीनी क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक चीन पर शासन किया था। माओत्से तुंग की मौत के बाद सत्ता में आए देंग शियोपिंग ने वर्ष 1982 में अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति द्वारा सत्ता में बने रहने का नियम खत्म कर दिया था। उन्होंने समय सीमा अनिश्चित काल से हटाकर 10 साल कर दी थी। ■

राष्ट्रीय

1. भारत की प्रथम तटीय पुलिस अकादमी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देवभूमि द्वारिका जिले के तटीय ओखा में स्थित गुजरात के मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र के परिसर से तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है।

भारतीय तटरेखा की सुरक्षा के प्रभावी ढंग से पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए यह देश की पहली राष्ट्रीय तटीय पुलिस एकेडमी होगी। इससे कई राज्यों की समुद्री सेना के कौशल को बेहतर बनाया जा सकता है। देश की यह अपनी तरह की पहली संस्था है जो अर्द्ध सैनिक बलों और रक्षा बलों की एक बहु एजेन्सी टीम द्वारा बनाई व चलाई जाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस थिंक टैंक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) इस अकादमी की स्थापना और देख-रेख करेगी।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जो पाकिस्तान के साथ गुजरात से लगने वाली भारतीय सीमा की रक्षा करता है इस तट रक्षक बल अकादमी के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अकादमी के प्रशिशुओं के लिए नौसेना और तटरक्षक बल "ट्रेनिंग पाठ्यक्रम, कुशल प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराने तथा जहाज और नौकाओं तक पहुंच" सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। यह अकादमी नौसेना, तटरक्षक बल और बीएसएफ का संकाय होगा। यह समुद्री कानूनों, नौकायन, नौका का काम, नेविगेशन हथियार से निपटने, समुद्र के मार्गदर्शन और निगरानी उपकरणों तथा उत्तरजीविता कौशल के उपयोग में पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा एजेन्सियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा।

अकादमी का महत्व

भारत में 13 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को छूती हुई 7616 किलोमीटर की विशाल तटीय रेखा है। इतनी विशाल तटरेखा की सुरक्षा के लिए इस तरह की अकादमी की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। ध्यातव्य है कि मुम्बई में नवम्बर 2008 में समुद्री रास्ते से बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस अकादमी की स्थापना की जा रही है। ■

2. न्यायाधीश गीता मित्तल 'नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित

दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 08 मार्च 2018 को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार पहली बार किसी महिला को कानून और न्याय के क्षेत्र में महिलाओं के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिया गया।

गीता मित्तल का परिचय

- उन्होंने अप्रैल 2017 में मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में हाई कोर्ट की कार्यशैली में काफी बदलाव देखने को मिला है।
- वे न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर काम कर रही हैं। गीता मित्तल ने वर्ष 1981 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की। उन्होंने वर्ष 2004 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य शुरू किया था। उन्होंने अब तक के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन में महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य और योगदान करने वाले न्यायाधीश गीता मित्तल सहित 30 लोगों और नौ संस्थाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया।

नारी शक्ति पुरस्कार

- नारी शक्ति पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय सम्मान की एक श्रृंखला है, जो अपनी असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत महिलाओं को प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छह श्रेणियों में दिया गया है।
- यह कठिन परिस्थितियों में एक महिला की हिम्मत की भावना को पहचानता है, जिसने अपने निजी या पेशेवर जीवन में साहस की भावना स्थापित की है।
- यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के मुद्दों को बढ़ाने में एक व्यक्ति के अग्रणी योगदान को भी पहचानता है।
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में 8 मार्च को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- नारी शक्ति पुरस्कार की शुरूआत वर्ष 1999 में हुई थी।

■

3. महिला उद्यमिता मंच पोर्टल

केंद्र सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को एक नया मंच प्रदान करने का फैसला किया गया है, इसका नाम महिला उद्यमिता मंच होगा। प्राप्त खबरों के मुताबिक इस मंच का संचालन और क्रियान्वयन नीति आयोग के द्वारा किया जायेगा। अपने इस नये प्रयास के द्वारा केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा और व्यवहारिक माहौल प्रदान करना चाहती है तथा इस नये प्रयास के द्वारा यह उम्मीद लगाई जा रहीं है कि इसके द्वारा अधिक संख्या में महिला उद्यमि प्रोत्साहित होंगी और इसमे अपना योगदान देंगी।

महिला उद्यमिता मंच का विवरण

- केंद्र सरकार ने एक नया ऑनलाइन वेब पोर्टल wep.gov.in लांच करने का फैसला लिया है। जिससे कोई भी महिला उद्यमी बहुत ही आसानी से इस वेब ब्राउजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर सकतीं है।
- केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है की यह वेब पोर्टल तीन मुख्य बिंदुओ पर फोकस करेगा यह तीन मुख्य बिंदु इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति होंगे। यह वेब पोर्टल महिला उद्यमियों के लिए ऑनलाइन लाइव उपलब्ध रहेगा।
- सरकार इस वेब पोर्टल के द्वारा विभिन्न नीतियों को लम्बे समय के लिए लागू करना चाहती है ताकि व्यापार लंबे समय तक चलता रहें।
- यह वेब पोर्टल पुर्णत: नारी शक्ति को समर्पित होगा जो की सभी महिलाओं के लिए सर्वप्रथम समृद्धी की नीति पर काम करेगा।
- इस वेबपोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश भर में उपस्थित महिला उद्यमियों को एक मंच पर लाना है, जिससे वे आपस में मेलजोल, साझेदारी और मार्गदर्शन आदि कर पाये।

वेब पोर्टल पंजीयन/ऑनलाइन पंजीयन की क्रियाविधि

सरकार के अनुसार यह नया वेब पोर्टल महिला उद्यमियों के लिए एक ज्ञान का स्त्रोत होगा। इस वेबपोर्टल के द्वारा नई व पुरानी स्थापित महिला उद्यमी अपने लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी जानकारी एक जगह से ले पायेंगी। इस वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए महिला उद्यमियों को निम्न प्रक्रिया फॉलो करनी होंगी।

- इस वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को इस लिंक https://www.wep.gov.in/ पर जाना होगा फिर उसे यहा मौजूद रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाकर उसे सिलेक्ट करना होगा या फिर आप डायरेक्ट इस साईट से (https://www.wep.gov.in/profile) रजिस्ट्रेशन पर पहुच सकते हैं।
- जब आप ऐसा कर लेते है तो आपको एक नई विंडो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आएगा। अब इस फॉर्म में महिला को सभी जानकारी जैसे खुद की व्यक्तिगत जानकारी, कांटेक्ट डिटेल, पेन कार्ड नंबर, टिन नंबर और उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी आदि भरनी होती है।
- वेरिफिकेशन के लिए यह बहुत आवश्यक है की महिला द्वारा सभी जानकारी सही-सही भरी गयी हो। जब आप सभी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लेते है तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

महिला उद्यमिता मंच के तीन मुख्य स्तंभ

अधिक संख्या में महिला उद्यमियों को स्वयं के व्यापार की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा इस वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण में सहायक होगा। नीति आयोग द्वारा लांच इस वेब पोर्टल पर तीन मुख्य बिन्दुओ पर फोकस किया गया है जो इस प्रकार है।

इच्छा शक्ति : इसका मतलब महिला उद्यमी में खुद की शक्ति और साहस होना चाहिये जिससे वह अपना व्यवसाय स्थापित कर सके और उसे चला सके। इस पोर्टल के द्वारा सरकार ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिलाओं को अपने मकसद में आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

ज्ञान शक्ति : ज्ञान शक्ति से तात्पर्य महिलाओं के पास संबंधित विषय पर उपलब्ध जानकारी से है। इस नये मंच के द्वारा महिलाओं को उनके व्यवसाय के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध कराने और उनके कौशल विकास को विकसित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

कर्म शक्ति : यहा पर कर्म शक्ति से तात्पर्य महिला द्वारा स्वयं का व्यवसाय चालू करने और उसे सशक्त होकर चलाने से है और यहा पर इस पोर्टल के द्वारा महिलाओं को अपना व्यवसाय चालू करने और उसे चलाने में हर संभव मदद की जाएगी।

नीति आयोग द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से यह सभी सेवाएँ और ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा। इसी के साथ यह पोर्टल नई महिला उद्यमियों को मदत प्रदान करेगा तथा वे यहा अपने आईडिया साझा कर उन पर मदत प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर सफल महिला उद्यमी अपने एक्सपीरियंस और सफलता की कहानी शेयर कर सकतीं हैं। ■

4. प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अखिल भारतीय विस्तार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 08 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में बालिका को बचाने और शिक्षित करने की सरकार की पहल को प्रोत्साहित करने लिए 'प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्तार का उद्घाटन किया।

- इस कार्यक्रम का विस्तार कर वर्तमान में देश के 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों में किया गया है।

'प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम

- 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई बीबीबीपी योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े अन्य विषयों का समाधान करना है।
- यह योजना तीन मंत्रालयों-महिला तथा बाल विकास-मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन व विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है।
- महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। यह योजना अनूठी है और मनोदशा, रिवाजों तथा भारतीय समाज में पितृसत्ता की मान्यताओं को चुनौती देती है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना को लागू करने के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति अपनाई गई है। इसमें लोगों की सोच को बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना स्थानीय नवाचारी उपायों में समुदाय तक पहुंचने पर बल देना, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गर्भ पूर्व तथा जन्म पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम लागू करना और स्कूलों में लड़कियों के अनुकूल संरचना बनाकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा के अधिकार को कारगर ढंग से लागू करना शामिल है। शुरू में बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना देश के सौ जिलों में लागू की गई।

1. सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाए जाएंगे। हर महीने इस बोर्ड में संबंधित गांव के बालक-बालिका अनुपात को दर्शाया जाएगा।
2. ग्राम पंचायत हर लड़की का जन्म होने पर उसके परिवार को तोहफा भेजेगी।
3. ग्राम पंचायत साल में कम-से-कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाएगी।
4. सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शपथ दिलाई जाएगी।
5. किसी गांव में अगर बाल-बालिका अनुपात बढ़ता है, तो वहां की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा।
6. बाल विवाह के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
7. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के अभियान में शामिल किया जाएगा।

- विभिन्न स्तरों पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों से संवाद किया गया।

बातचीत में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), ऑक्सीलियरी नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम) तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, धामिक नेताओं और समुदाय के नेताओं को शामिल किया गया।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं अभियान को व्यापक बनाने के लिए, विशेषकर युवाओं में व्यापकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी इस्तेमाल किया गया और जन साधारण में बालिका के महत्व को लेकर सार्थक संदेश दिये गये।

बालक-बालिका अनुपात

- बालक-बालिका अनुपात (सीएसआर) से यह पता चलता है किसी भी राज्य या शहर अथवा देश में हर 1000 बालकों के अनुपात में कितनी बालिकाएं है। एक दुखद सच यह है कि कन्या भ्रूण हत्या की निर्मम घटनाओं के चलते भारत में यह अनुपात लगातार घटता जा रहा है। वर्ष 1991 में हर 1000 बालकों 945 बालिकाएं थीं, लेकिन वर्ष 2011 में हर 1000 बालकों पर 918 बालिकाएं ही थीं। ■

5. बाल बलात्कारियों को राजस्थान में फांसी देने हेतु विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा ने 9 मार्च, 2018 को 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के बलात्कारियों को फांसी की सजा देने हेतु एक विधेयक 'आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन विधेयक), 2018 पारित किया है। विधेयक राज्य के गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा पेश किया गया।

- इस तरह का विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी देने हेतु विधेयक पारित किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी इस हेतु एक विधेयक लाने की घोषणा की है।
- राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में दो नई धाराएं 376एए व 376डीडी जोड़ा गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 376डीडी भी बालिकाओं के सामूहिक बलात्कारियों के लिए भी समान दंड का प्रावधान करता है, साथ ही दोषी पाये जाने पर फांसी की सजा या 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था करता है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2016 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 4034 मामले दर्ज किये गये जिनमें राजस्थान में 3-8 प्रतिशत मामले दर्ज किये गये। ■

6. इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति

सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल और पैसिव यूथेनेसिया (परोक्ष इच्छामृत्यु) की इजाजत देते हुए, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि जीवन के अधिकार को संरक्षित किया जा सके। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि भारत में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (लिविंग विल) को लेकर कोई लीगल फ्रेम वर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वह अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार को संरक्षित करे। एडवांस डायरेक्टिव समय की जरूरत है और वह जीवन के पवित्र अधिकार को संरक्षित करने में सहायक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं और सरकार जब तक कानून नहीं बनाती तब तक ये अमल में रहेगा।

मेकनिजम क्या है

- कोई भी वयस्क जो दिमागी तौर पर ठीक हो, वह एडवांस डायरेक्टिव का निष्पादन कर सकता है। उसके लिए ये जरूरी होगा कि वह इसका नतीजा जानता हो।
- वह खुद इसका निष्पादन करेगा और वह बिना किसी दबाव में ऐसा करेगा। उसे इसकी पूरी जानकारी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उस पर कोई दबाव नहीं था।
- साफ तौर पर लिखना होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट तब रोक दिया जाए, जब मौत निश्चित हो और सिर्फ मौत को टाला जा रहा हो।
- ऐसा साफ-साफ लिखा होना चाहिए और किसी भी तरह का अस्पष्टता वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। उसे इस निष्पादन का नतीजा भी मालूम होना चाहिए।
- इस दौरान एक परिवार के व्यक्ति को गार्जियन बनाना होगा, जो उस वक्त फैसला ले सके, जब एडवांस डायरेक्टिव तय करने वाला व्यक्ति मौत की तरफ जा रहा हो। -अगर इस तरह के दो लिविंग विल लिखे जाते हैं तो जो बाद की तारीख का होगा, उसे माना जाएगा।

कैसे इसे रिकॉर्ड किया जाएगा?

- निष्पादन करने के वक्त स्वतंत्र गवाह होंगे और सबका साइन होगा। फर्स्ट क्लास जूडिशियल मजिस्ट्रेट के दस्तखत भी होंगे।
- एक कॉपी जिला जज की रजिस्ट्री में रख दी जाएगी, इसके साथ ही परिवार को इस बारे में अवगत कराया जाएगा।

कब होगा इसका इस्तेमाल?

- जिस अस्पताल में मरीज का इलाज चल रह है और वहां डॉक्टर को जब इस एडवांस डायरेक्टिव के बारे में पता चलेगा तब वह सबसे पहले उस दस्तावेज को चेक करेगा और उसकी सत्यता को परखेगा। फिर अगर उसे लगेगा कि मरीज की वाकई हालत सुधरने वाली नहीं है तो वह मरीज के उस गार्जियन को इस बारे में सूचित करेगा।
- मरीज के गार्जियन को यह सुनिश्चित कराना होगा कि मरीज की स्थिति आखिरी है और बचने की संभावना नहीं है तथा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है।

- इसके बाद जिस अस्पताल में मरीज भर्ती है। वहां मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और वह स्थिति का आकलन करेगा और अगर वह इस ऑपिनियन के साथ है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए तो वह रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगा।
- कलेक्टर चीफ डिस्ट्रिफ्ट मेडिकल ऑफिसर की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड का जठन करेगा और वह मरीज का परीक्षण करेगा। अगर यह मेडिकल बोर्ड भी अस्पाल के मेडिकल बोर्ड से सहमति रखेगा तो मामले को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा। फिर मजिस्ट्रेट मौके पर स्थिति को देखेगा। और फिर वह बोर्ड के फैसला को लागू करने की मंजूरी देगा।
- अगर किसी भी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मेडिकल सुविधाएं वापस लेने की मंजूरी नहीं मिलती है तो मरीज का रिश्तेदार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। फिर हाई कोर्ट तीन डॉक्टरों का पैनल गठित कर मामले का परीक्षण करवाएगा और फिर फैसला लिया जाएगा।

जिन मामलों में एडवांस डायरेक्टिव नहीं है?

जिन मामलों में एडवांस डायरेक्टिव यानी लिविंग विल नहीं है, वहां भी तमाम सेफगार्ड वैसे ही लागू होंगे जैसे लिविंग विल वाले मामले में हैं, लेकिन उसके साथ कुछ अतिरिक्त तथ्य भी देखने होंगे।

- अगर मरीज गंभीर बीमार है और बचने की स्थित में नहीं है, तब उसका इलाज करने वाले डॉक्टर उस बारे में अस्पताल को जानकारी देंगे।
- अस्पताल को बताया जाएगा कि मरीज मरणासन्न अवस्था में है और बचने की संभावना नहीं है। तब मेडिकल बोर्ड अस्पताल में गठित होगा और वह डॉक्टर के साथ-साथ मरीज के परिजन से बात करेगा और उन्हें मेडिकल सुविधाएं वापस लेने के नतीजे के बारे में बताया जाएगा और मरीज की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
- कलेक्टर फिर चीफ जिला मेडिकल ऑफिसर की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा और फिर वही प्रॉसेस अख्तियार किया जाएगा, जो लिविंग विल के केस में होता है।■

7. जीएसटी परिषद ने अप्रैल से ई–वे बिल लागू करने का निर्णय लिया

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 10 मार्च 2018 को अंतिम निर्णय लिया है कि 01 अप्रैल 2018 से देशभर में ई-वे बिल (इलेक्ट्रानिक-वे बिल) लागू होगा। हालांकि एक ही राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को क्रमबद्ध तरीके से 15 अप्रैल से लागू किया जाना शुरू किया जाएगा और 1 जून तक यह सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही जीएसटी में टैक्स की चोरी पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी।

टैक्स चोरी पर रोक लगाने के साथ ही इससे परिवहन में लगने वाला समय भी बचेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसतन एक ट्रक को चेकपोस्टों पर 20 फीसदी वक्त जाया करना पड़ता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की ढुलाई के लिए ई-वे बिल तैयार करने और उसे मालवाहक वाहन के साथ ले जाने की जरूरत है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था जीएसटीआर-3 बी को भी तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी छह माह यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है।

ई-वे बिल क्या है?

जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या ज्यादा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 50 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई वे बिल कहते हैं, जो जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आता है।

यह वैधता माल (वस्तु) ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी। अगर किसी वस्तु का गतिशीलता (मूवमेंट) 100 किलोमीटर तक होता है तो यह बिल सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड (वैध) होता है। अगर इसका मूवमेंट 100 से 300 किलोमीटर के बीच होता है तो बिल 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन और 1000 से ज्यादा किलोमीटर के मूवमेंट पर 15 दिन के लिए मान्य होगा।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

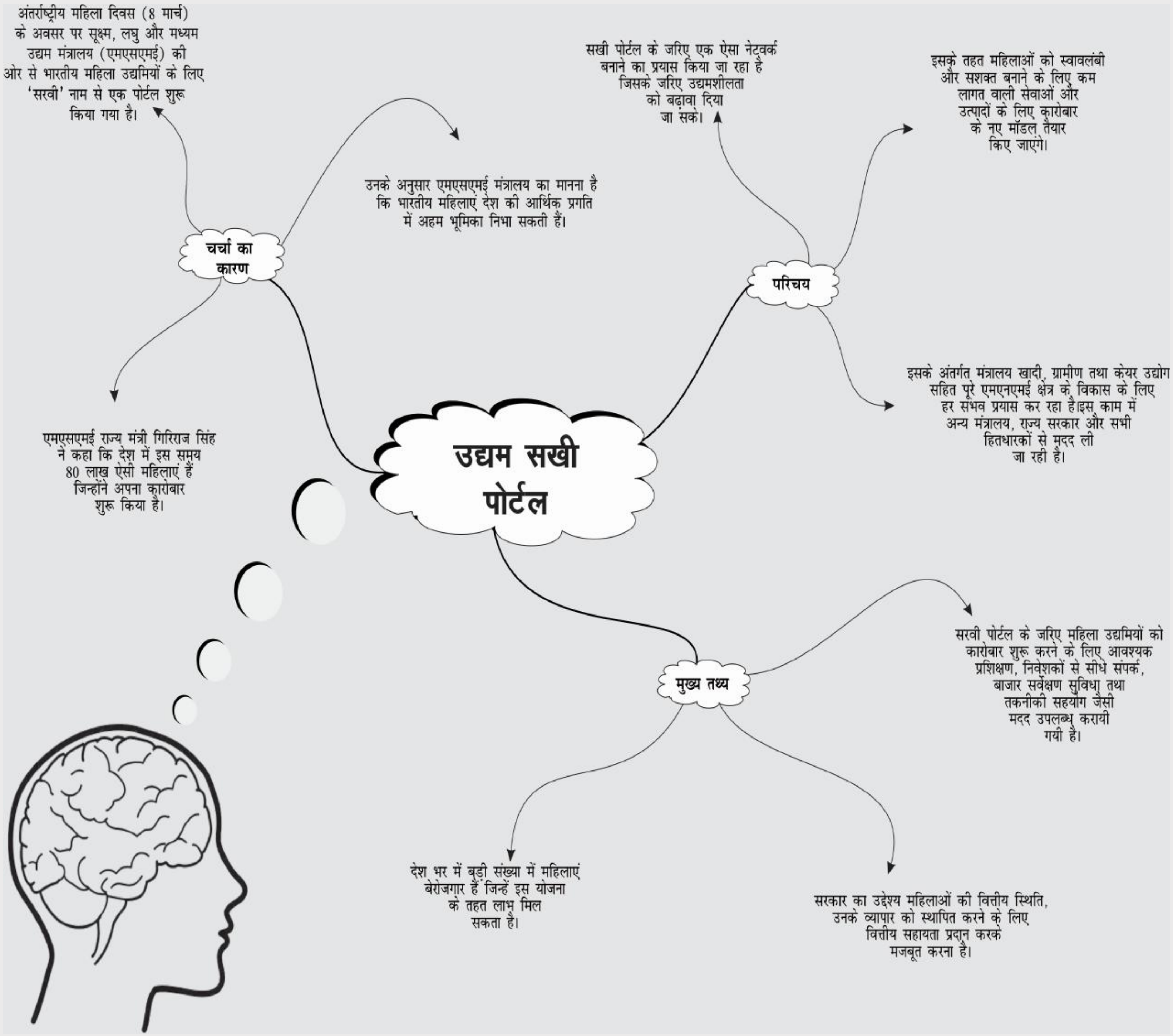

उद्यम सखी पोर्टल
चर्चा का कारण
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की ओर से भारतीय महिला उद्यमियों के लिए 'सखी' नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है।
उनके अनुसार एमएसएमई मंत्रालय का मानना है कि भारतीय महिलाएं देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
एमएसएमई राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में इस समय 80 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है।
परिचय
सखी पोर्टल के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके।
इसके तहत महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए कम लागत वाली सेवाओं और उत्पादों के लिए कारोबार के नए मॉडल तैयार किए जाएंगे।
इसके अंतर्गत मंत्रालय खादी, ग्रामीण तथा केयर उद्योग सहित पूरे एमएनएमई क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।इस काम में अन्य मंत्रालय, राज्य सरकार और सभी हितधारकों से मदद ली जा रही है।
मुख्य तथ्य
सखी पोर्टल के जरिए महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निवेशकों से सीधे संपर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध करायी गयी है।
देश भर में बड़ी संख्या में महिलाएं बेरोजगार हैं जिन्हें इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्थिति, उनके व्यापार को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मजबूत करना है।

विश्व वन्यजीव दिवस

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर 2013 को अपने 68वें अधिवेशन में वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 03 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी।
- वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1872 में वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। यह संस्थान केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान है जिसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

चर्चा का कारण

- इस वर्ष का मुख्य विषय 'बिग बिल्लियों-खतरे में शिकारी' है।
- 3 मार्च 2018 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय 'युवा की आवाज सुने' था।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

- वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु-अनुशासनिक इकाई है।
- वन्य जीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निर्देशक के अंतर्गत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और जबलपुर में स्थित हैं।

मुख्य तथ्य

- वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 अधिनियम के द्वारा दो नए अनुच्छेद 48-1 व 51(छ) को जोड़कर वन्यजीवों से संबंधित विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
- 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केन्द्रीय कानून है, जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है।
- वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया है।
- वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव योजना 1983 में प्रारंभ की गई।

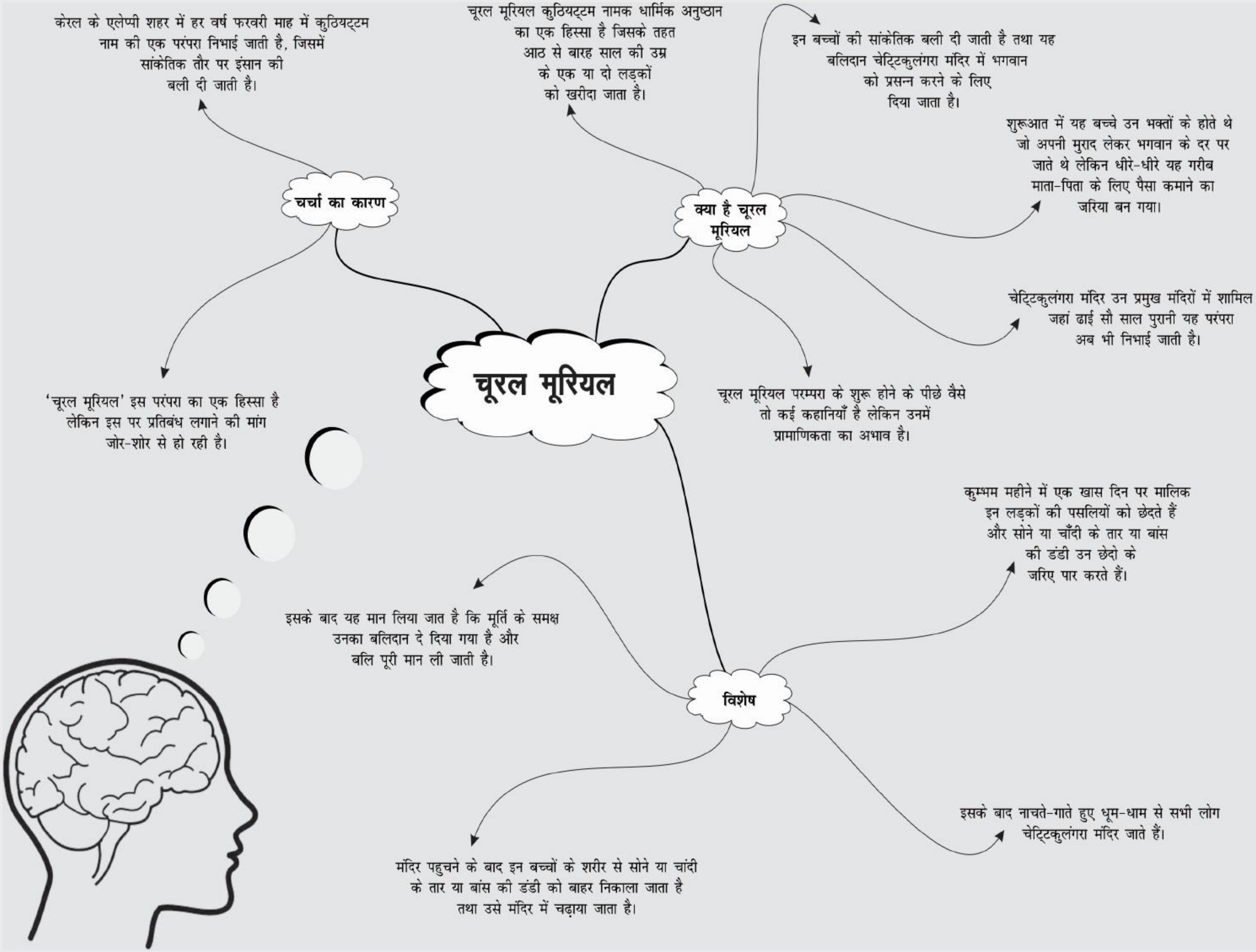
चूरल मूरियल
चर्चा का कारण
केरल के एलेप्पी शहर में हर वर्ष फरवरी माह में कुठियट्टम नाम की एक परंपरा निभाई जाती है, जिसमें सांकेतिक तौर पर इंसान की बली दी जाती है।
'चूरल मूरियल' इस परंपरा का एक हिस्सा है लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर-शोर से हो रही है।
क्या है चूरल मूरियल
चूरल मूरियल कुठियट्टम नामक धार्मिक अनुष्ठान का एक हिस्सा है जिसके तहत आठ से बारह साल की उम्र के एक या दो लड़कों को खरीदा जाता है।
इन बच्चों की सांकेतिक बली दी जाती है तथा यह बलिदान चेट्टिकुलंगरा मंदिर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है।
शुरूआत में यह बच्चे उन भक्तों के होते थे जो अपनी मुराद लेकर भगवान के दर पर जाते थे लेकिन धीरे-धीरे यह गरीब माता-पिता के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया।
चेट्टिकुलंगरा मंदिर उन प्रमुख मंदिरों में शामिल है जहां ढाई सौ साल पुरानी यह परंपरा अब भी निभाई जाती है।
चूरल मूरियल परम्परा के शुरू होने के पीछे वैसे तो कई कहानियाँ है लेकिन उनमें प्रामाणिकता का अभाव है।
विशेष
कुम्भम महीने में एक खास दिन पर मालिक इन लड़कों की पसलियों को छेदते हैं और सोने या चाँदी के तार या बांस की डंडी उन छेदो के जरिए पार करते हैं।
इसके बाद नाचते-गाते हुए धूम-धाम से सभी लोग चेट्टिकुलंगरा मंदिर जाते हैं।
मंदिर पहुचने के बाद इन बच्चों के शरीर से सोने या चांदी के तार या बांस की डंडी को बाहर निकाला जाता है तथा उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है।
इसके बाद यह मान लिया जात है कि मूर्ति के समक्ष उनका बलिदान दे दिया गया है और बलि पूरी मान ली जाती है।

ध्येयIAS® most trusted since 2003

टाइपबार टीसीबी

परिचय

- टाइपबार टीसीबी विश्व का पहला चिकित्सीय रूप से प्रमाणित टाइफाइड संयुग्मी टीका है।
- यह एक चौथी पीढ़ी का टीका है।
- इस टीके का विकास हैदराबाद स्थित भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी 'भारत बायोटेक' द्वारा किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में टाइफाइड के जो भी टीके उपलब्ध है,वे इस रोग के विरूद्ध लंबी अवधि तक सुरक्षा प्रदान नहीं करते, साथ ही इन टीकों का प्रयोग 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर भी नहीं किया जा सकता है।
- टाइपबार टीसीवी 6 माह के बच्चे से लेकर वयस्क मनुष्यों तक के लिए उपयुक्त है और यह टाइफाइड ज्वर के विरूद्ध लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

चर्चा का कारण

- जनवरी 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टाइफाइड के टीके टाइपबार टीसीबी को पूर्व-योग्यता टैग प्रदान कर दिया गया है।
- टैग प्रदान करने से अब यूनिसेफ, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गनाइजेशन तथा गावी (Global Allianee for vacline and Immunization) जैसे संगठनों द्वारा विश्वभर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में इस जीवन रक्षक टीके का प्रयोग किया जा सकता है।

टाइफाइड के बारे में

- आंत्र ज्वर या टाइफाइड एक संक्रामक रोग है, जिसका कारण सल्मोनेल्ला टाइफी नामक जीवाणु होता है।
- आईएच एमई (IHME: Institute for health metrics and Evaluation) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2016 में विश्वभर में टाइफाइड के लगभग 12 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 130,000 लोगों की मृत्यु हो गई।
- संदूषित खाद्य या पेय पदार्थों आदि के प्रयोग से मनुष्य इस जीवाणु से संक्रमित हो जाता है।
- टाइफाइड रोग पर प्रति जैविक उपचार द्वारा नियंत्रण पाया जा सकता है लेकिन बहुऔषध प्रतिरोधी टाइफाइड के बढ़ते मामलों ने ऐसे उपचारों की प्रभावकारिता भी सीमित कर दी है।

विशेष

- टाइफाइड संयुग्मी टीकों तक विश्वभर के लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करने तथा निम्न आय वाले देशों में लोगों को टाइफाइड ज्वर से रक्षा के उद्देश्य से भारत बायोटेक ने क्लिंटन स्वास्थ्य पहुंच पहल के साथ गठबंधन किया है।
- टाइपबार टीसीबी टीका भारत, नाइजीरिया, कंबोडिया, नेपाल आदि देशों में पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है।
- इसके अलावा 30 से अधिक अन्य देशों (जैसे-मलेशिया, तुर्की, थाइलैण्ड, युंगाडा, केन्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम आदि) में इसके पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है।

फूड फोर्टिफिकेशन रिपोर्ट

परिचय

फूड फोर्टिफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडीन,जिंक, विटामिन A एवं D जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ एवं विटामिन जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया है जिससे कि इन खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि हो।

फोर्टिफिकेशन के जरिए अपनी खाद्य आदतों में बदलाव किये बिना पोषक तत्वों का उपभोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

चर्चा का कारण

FSSAI (FOOD SAFETYAND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA) के अनुसार भारत में 70% लोग विटामिन एवं खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याप्त उपभोग नहीं करते हैं।

भारत में 70% स्कूल-पूर्व बच्चों में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया की स्थिति पाई जाती है तो 57%स्कूल-पूर्व बच्चों में विटामिन A की कमी है।

भारत में जन्मजात तंत्रिका दोषों से पीड़ित बच्चों की संख्या काफी अधिक है। अनुमान के मुताबिक पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति से इस प्रकार के दोषों में 50-70% तक की कमी लाई जा सकती है।

FSSAI के बारे में

केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI का गठन किया है। इसको 1 अगस्त 2011 में केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम के तहत अधिसूचित किया गया।

FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण,वितरण, बिक्री और आयात संबंधी सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।

FSSAI का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।

मुख्य तथ्य

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 16 अक्टूबर 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2016 के मसौदे को लागू कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के तहत प्रत्यक्ष रूप से मानव उपभोग के लिए केवल आयोडीन युक्त नमक की बिक्री की अनुमति है।

इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने द्वारा प्रशासित होने वाली योजनाओं जैसे-एकीकृत बाल विकास योजना तथा मिड डे मिल योजना में दोगुने फोर्टिफाइड नमक (लोहा और आयोडीन), गेहूं का आटा तथा खाद्य तेल (विटामिन A और D)के प्रयोग का सूझाव दिया है।

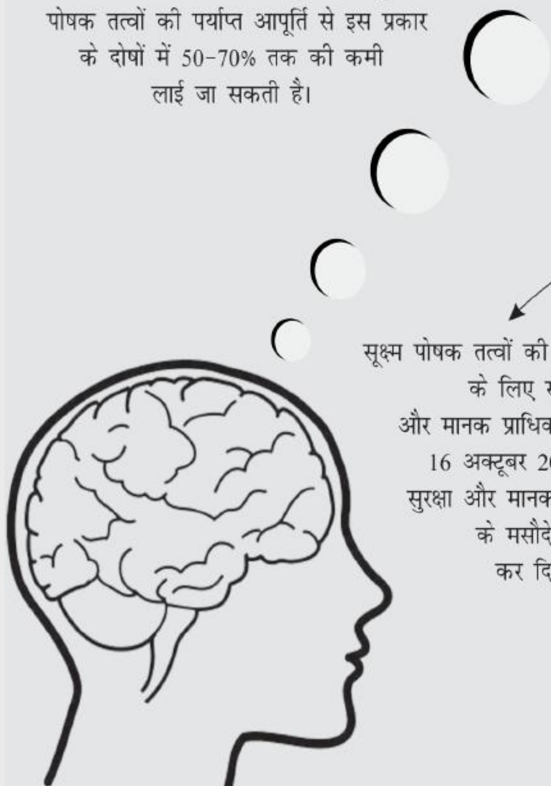

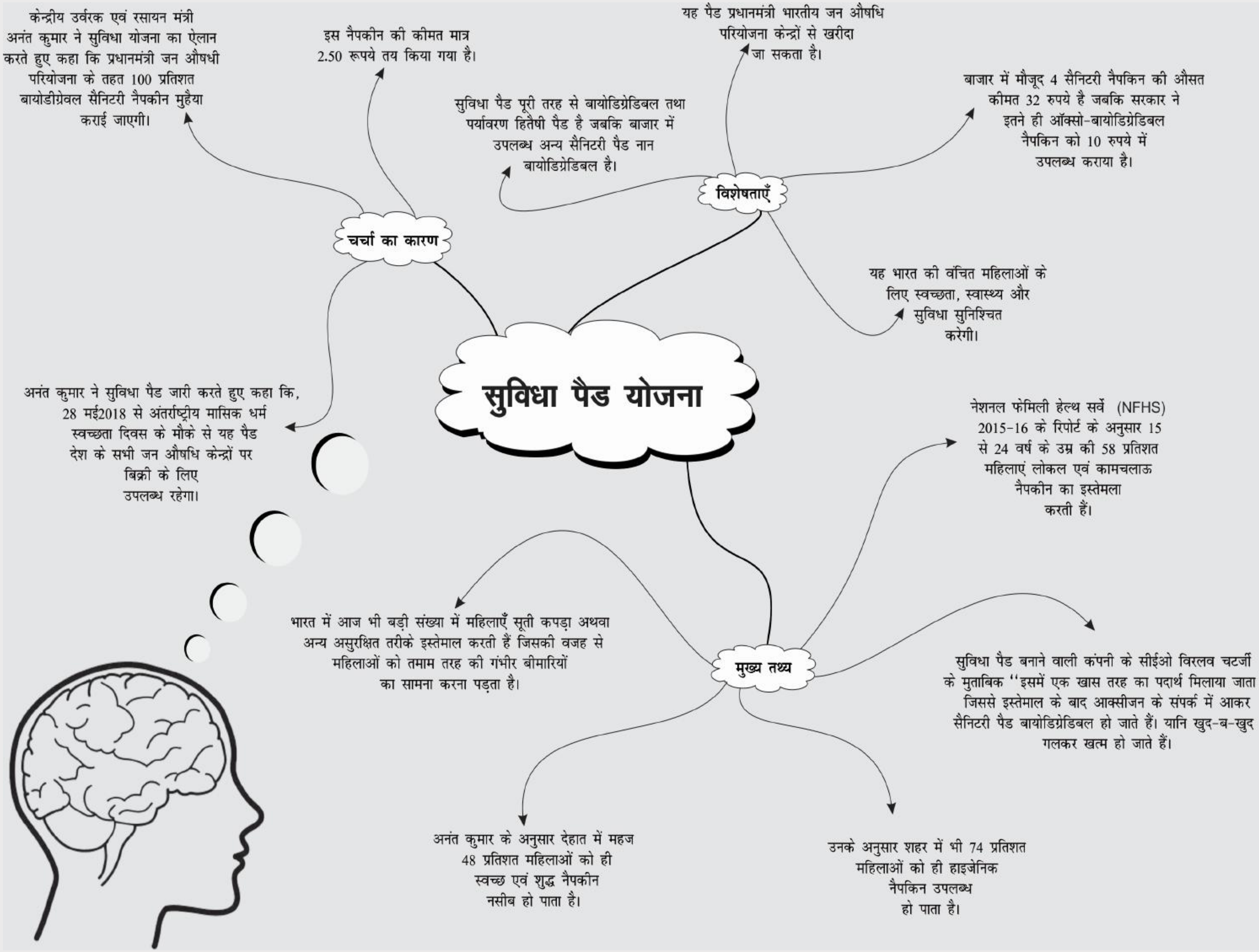
सुविधा पैड योजना
चर्चा का कारण
केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री अनंत कुमार ने सुविधा योजना का ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधी परियोजना के तहत 100 प्रतिशत बायोडीग्रेवल सैनिटरी नैपकीन मुहैया कराई जाएगी।
इस नैपकीन की कीमत मात्र 2.50 रूपये तय किया गया है।
अनंत कुमार ने सुविधा पैड जारी करते हुए कहा कि, 28 मई2018 से अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके से यह पैड देश के सभी जन औषधि केन्द्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा।
विशेषताएँ
सुविधा पैड पूरी तरह से बायोडिग्रेडिबल तथा पर्यावरण हितैषी पैड है जबकि बाजार में उपलब्ध अन्य सैनिटरी पैड नान बायोडिग्रेडिबल है।
यह पैड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केन्द्रों से खरीदा जा सकता है।
बाजार में मौजूद 4 सैनिटरी नैपकिन की औसत कीमत 32 रुपये है जबकि सरकार ने इतने ही ऑक्सो-बायोडिग्रेडिबल नैपकिन को 10 रुपये में उपलब्ध कराया है।
यह भारत की वंचित महिलाओं के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित करेगी।
मुख्य तथ्य
नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 वर्ष के उम्र की 58 प्रतिशत महिलाएं लोकल एवं कामचलाऊ नैपकीन का इस्तेमला करती हैं।
सुविधा पैड बनाने वाली कंपनी के सीईओ विरलव चटर्जी के मुताबिक ''इसमें एक खास तरह का पदार्थ मिलाया जाता है जिससे इस्तेमाल के बाद आक्सीजन के संपर्क में आकर सैनिटरी पैड बायोडिग्रेडिबल हो जाते हैं। यानि खुद-ब-खुद गलकर खत्म हो जाते हैं।
भारत में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएँ सूती कपड़ा अथवा अन्य असुरक्षित तरीके इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से महिलाओं को तमाम तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
अनंत कुमार के अनुसार देहात में महज 48 प्रतिशत महिलाओं को ही स्वच्छ एवं शुद्ध नैपकीन नसीब हो पाता है।
उनके अनुसार शहर में भी 74 प्रतिशत महिलाओं को ही हाइजेनिक नैपकिन उपलब्ध हो पाता है।

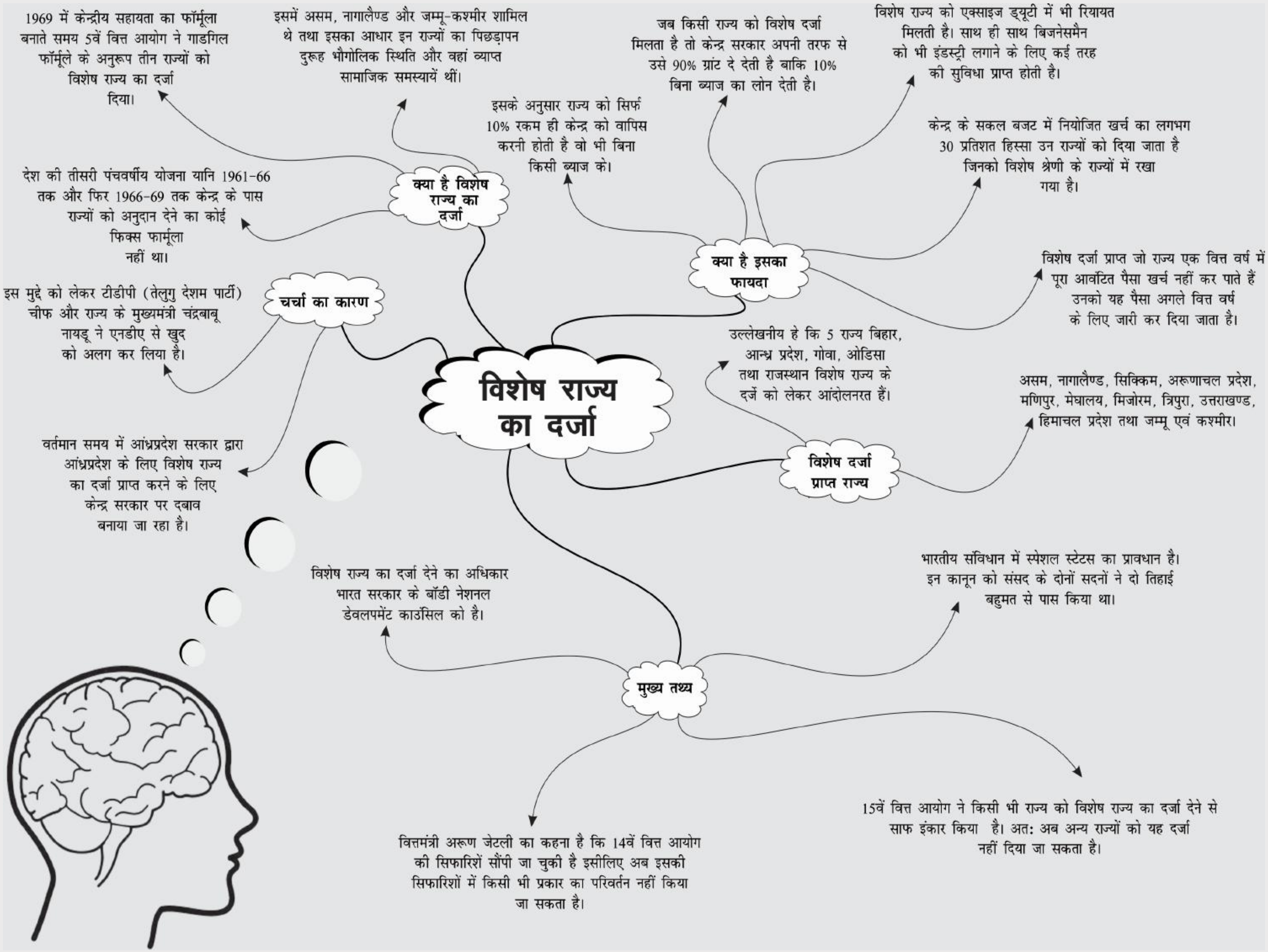
विशेष राज्य का दर्जा
क्या है विशेष राज्य का दर्जा
1969 में केन्द्रीय सहायता का फॉर्मूला बनाते समय 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के अनुरूप तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया।
इसमें असम, नागालैण्ड और जम्मू-कश्मीर शामिल थे तथा इसका आधार इन राज्यों का पिछड़ापन दुरूह भौगोलिक स्थिति और वहां व्याप्त सामाजिक समस्यायें थीं।
देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानि 1961-66 तक और फिर 1966-69 तक केन्द्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं था।
क्या है इसका फायदा
जब किसी राज्य को विशेष दर्जा मिलता है तो केन्द्र सरकार अपनी तरफ से उसे 90% ग्रांट दे देती है बाकि 10% बिना ब्याज का लोन देती है।
इसके अनुसार राज्य को सिर्फ 10% रकम ही केन्द्र को वापिस करनी होती है वो भी बिना किसी ब्याज के।
विशेष राज्य को एक्साइज ड्यूटी में भी रियायत मिलती है। साथ ही साथ बिजनेसमैन को भी इंडस्ट्री लगाने के लिए कई तरह की सुविधा प्राप्त होती है।
केन्द्र के सकल बजट में नियोजित खर्च का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता है जिनको विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा गया है।
विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य एक वित्त वर्ष में पूरा आवंटित पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं उनको यह पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है।
चर्चा का कारण
इस मुद्दे को लेकर टीडीपी (तेलुगु देशम पार्टी) चीफ और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया है।
वर्तमान समय में आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है।
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य
उल्लेखनीय है कि 5 राज्य बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, ओडिसा तथा राजस्थान विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आंदोलनरत हैं।
असम, नागालैण्ड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर।
मुख्य तथ्य
विशेष राज्य का दर्जा देने का अधिकार भारत सरकार के बॉडी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को है।
भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस का प्रावधान है। इन कानून को संसद के दोनों सदनों ने दो तिहाई बहुमत से पास किया था।
वित्तमंत्री अरूण जेटली का कहना है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें सौंपी जा चुकी है इसीलिए अब इसकी सिफारिशों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
15वें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इंकार किया है। अत: अब अन्य राज्यों को यह दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

उद्यम सखी पोर्टल

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास-मंत्रालय द्वारा भारतीय महिला उद्यमियों के लिए 'सखी' नाम के एक पोर्टल की शुरूआत की गई है।
2. सखी पोर्टल के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके जरिए महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
3. सखी पोर्टल के जरिए महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निवेशकों से सीधे सम्पर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध कराई गई है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 व 3

(B) केवल 3 व 2

(C) केवल 1 व 2

(D) केवल 1, 2 व 3

उत्तर: (B)

व्याख्या: अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की ओर से भारतीय महिला उद्यमियों के लिए "सखी" नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्थिति सुधार हेतु उनके व्यापार को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मजबूत करना है। इसके अन्तर्गत खादी ग्रामीण मंत्रालय तथा केयर उद्योग सहित पूरे एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस काम में अन्य मंत्रालय, राज्य सरकार और सभी हितधारकों से मदद ली जा रही है। ■

विश्व वन्यजीव दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है?

(A) प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का मुख्य विषय 'बिग बिल्लियों-खतरे में शिकारी' है।

(B) 'भारतीय वन्यजीव संस्थान' केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान है जिसे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

(C) 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, यह अधिनियम विलुप्त होते वन्यजीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान करता है।

(D) वन्यजीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1870 में वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था।

उत्तर: (D)

व्याख्या: हाल ही में 3 मार्च 2018 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया इस वर्ष का मुख्य विषय 'बिग बिल्लियों-खतरे में शिकारी' है। वन्यजीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1872 में वाइल्ड लाइफ एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। इसके पश्चात् 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत में वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। ■

चूरल मूरियल

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

1. चूरल मूरियल केरल के कुठियट्टम नामक धार्मिक अनुष्ठान का एक हिस्सा है जिसमें सांकेतिक तौर पर इंसान की बलि दी जाती है।
2. चूरल मूरियल परंपरा का अनुष्ठान चेट्टिकुलंगरा मंदिर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है।
3. चूरल मूरियल कुठियट्टम नामक धार्मिक अनुष्ठान के तहत सांकेतिक बलि के लिए महिलाओं को चुना जाता है।
4. चेटिटकुलंगरा मंदिर उन प्रमुख मंदिरों में शामिल है जहाँ ढाई सौ साल पुरानी यह परंपरा अब भी निभाई जाती है जिसका अब जोर-शोर से विरोध हो रहा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1, 2 व 4

(B) केवल 2, 3 व 4

(C) केवल 1, 3 व 4

(D) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (A)

व्याख्या: चूरल मूरियल कुठियट्टम नामक धार्मिक अनुष्ठान केरल के एलेप्पी शहर में स्थित चेट्टिकुलंगरा मंदिरा में प्रतिवर्ष फरवरी माह में किया जाता है। इस अनुष्ठान में 8 से 12 वर्ष की उम्र के दो लड़कों को खरीद कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति के समक्ष इनकी सांकेतिक बलि देते हैं। चूरल मूरियल, इस परंपरा का एक हिस्सा है लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर-शोर से हो रही है। ■

सुविधा पैड योजना

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत सरकार, प्रधानमंत्री जन औषधी परियोजना के माध्यम से 100 प्रतिशत बायोडीग्रेवल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी इस योजना को सुविधा पैड योजना का नाम दिया गया।
2. 28 मई 2018 अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके से यह पैड देश के सभी जन औषधि केन्द्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा।
3. यह योजना भारत की वंचित महिलाओं के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित करेगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 व 2

(B) केवल 1 व 3

(C) केवल 2 व 3

(D) 1, 2 व 3

उत्तर: (D)

व्याख्या: यह सुविधा पैड, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केन्द्रों से खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत मात्र 2.50 रुपए तय की गयी है। सुविधा पैड पूरी तरह से बायोडिग्रेडिवल है। देहात में महज 48 प्रतिशत महिलाओं को ही स्वच्छ एवं शुद्ध नैपकीन नसीब हो पाता है। ■

टाइपबार टीसीवी

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

1. 'टाइपबार टीसीवी' विश्व का पहला चिकित्सीय रूप से प्रमाणित टाइफाइड संयुग्मी टीका है।
2. जनवरी 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टाइफाइड के टीके टाइपबार टीसीवी को पूर्व योग्यता टैग प्रदान कर दिया गया है।
3. आंत्रज्वर या टाइफाइड एक विषाणु जनित रोग है जिसका कारण सल्मोनेल्ला टाइफी होता है।
4. टाइपबार टीसीवी 6 माह के बच्चे से लेकर वयस्क मनुष्यों तक के लिए उपयुक्त है और यह टाइफाइड ज्वर के विरूद्ध लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से से सही है/हैं?

(A) 1, 2 केवल 3

(B) 1, 4 व 3

(C) 1, 2 व 4

(D) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (C)

व्याख्या: हाल ही में WHO ने टाइफाइड के टीके टाइपबार टीसीबी को पूर्व योग्यता टैग प्रदान किया है। इस टीके का विकास हैदराबाद स्थित भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। यह चौथी पीढ़ी का टीका है। आंत्रज्वर या टाइफाइड संदूषित खाद्य या पेय पदार्थों आदि के प्रयोग से होता है यह एक संक्रामक रोग है जो सल्मोनेल्ला टाइफी नामक जीवाणु से होता है।

फूड फोर्टिफिकेशन रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन असत्य है?

(A) भारत में 70% स्कूल-पूर्व बच्चों में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया की स्थिति पाई जाती है।

(B) एफएसएसएआई के अनुसार भारत में 70% लोग विटामिन एवं खनिज जैसे सूक्ष्म पोषण तत्वों का पर्याप्त उपभोग नहीं करते हैं।

(C) सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अक्टूबर 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2016 के मसौदे को लागू कर दिया है।

(D) एफएसएसएआई का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत FSSAI का गठन किया है।

उत्तर: (B)

व्याख्या: केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI का गठन किया है। इसको 1 अगस्त 2011 में केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम के तहत अधिसूचित किया गया। FSSAI का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में हैं। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2016 को लागू किया। ■

विशेष राज्य का दर्जा

प्र. निम्न कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है?

(A) भारत में विशेष राज्य का दर्जा देने का अधिकार भारत सरकार के एक अंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को है।

(B) वर्तमान में 5 राज्य-बिहार, आंध्रप्रदेश, गोवा, ओडिसा तथा राजस्थान विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

(C) विशेष राज्य को एक्साइज ड्यूटी में भी रियायत मिलती है। साथ ही साथ बिजनेसमैन को इंडस्ट्री लगाने के लिए कई तरह की सुविधाएँ प्राप्त होती है।

(D) भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेट्स का प्रावधान है इस विशेष दर्जे को संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा पास करके दिया जा सकता है।

उत्तर: (D)

व्याख्या: जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केन्द्र सरकार अपनी तरफ से उसे 90% ग्रांट दे देती है और बाकि 10% बिना ब्याज का लोन देती है। केन्द्र के सकल बजट में नियोजित खर्च का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता है जिनकों विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा गया है। विशेष राज्य के दर्जे के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है जिसके तहत संसद के दोनों सदनों से विशेष राज्य का दर्जा विधेयक, दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?

- दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा

2. हाल ही में किस राज्य में 'दस्तक' अभियान शुरू किया गया है?

- उत्तर प्रदेश

3. हाल ही में एशियाई पैरा साइक्लिंग चैपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है?

- नेपिडा (म्यांमार)

4. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का रिजर्व बैंक किसके सम्मान में नोट जारी किया है?

- नेल्सन मंडेला

5. हाल ही में किस देश में ओलंपिक बुलेट ट्रेन चलाई गई है?

- दक्षिण कोरिया

6. हाल ही में किस देश में पहला हिन्दू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है?

- आबू धाबी

7. हाल ही में न्यूक्लियर फ्यूॅल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- दिनेश श्रीवास्तव

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जायेगा।

   - महात्मा गाँधी

2. तर्क द्वारा आप एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक ही जा पायेंगे जबकि कल्पना से आप कहीं भी जा सकते हैं।

   - अल्बर्ट आइंस्टीन

3. जो लोग अपने दिल से काम नहीं कर सकते वो आधी अधूरी ही सफलता ही प्राप्त करते हैं और चारो तरफ कड़वाहट फैला देते हैं।

   - अब्दुल कलाम

4. दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिये और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा।

   - दयानन्द सरस्वती

5. उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है तुम तत्व के सेवक नहीं हो।

   - स्वामी विवेकानंद

6. जो शाशन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशाशन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः , जनता ही मुखिया होती है।

   - लाल बहादुर शास्त्री

7. बुराई इसलिए नहीं बढती की बुरे लोग बढ़ गए है बल्कि बुराई इसलिए बढती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गये है।

   - भगत सिंह

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में समय में केरल ब्लिचिंग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारणों को बताते हुए इसके समाधान पर चर्चा करें।

2. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत में महामारी के रूप में फैले टीबी के उन्मूलन में यह किस प्रकार सहायक होगा? उल्लेख करें।

3. हाल ही में संसद सदस्यों का वेतन 1.5 से 2 गुना बढ़ाया गया है। एक तरफ जहाँ देश की गरीब जनता भूख से मर रही है दूसरी तरफ इनका वेतन बढ़ाना कहाँ तक तार्किक है? टिप्पणी करें।

4. वर्तमान में भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित कृषि पर बल दिया जा रहा है। यह कृषि प्रणाली अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हो पाएगी? व्याख्या करें।

5. वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का जिस प्रकार ह्रास हो रहा है उसका एक बड़ा कारण संयुक्त परिवार का टूटना बताया जा रहा है। आप इससे कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

6. जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए।

7. वर्तमान सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद भारत के शहर और गांव बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहें हैं। क्या इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ-साथ लोगों की सोच में बदलाव आवश्यक है? चर्चा करें।

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST :	DAILY Q & A CHECKING
VIDEOS:	ARTICLE ANALYSIS
CURRENT AFFAIRS:	ESSAY
DISCUSSION	AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल	अन्य पोर्टल एवं साइट्स
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	×
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	×

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44